

26 मार्च, 2015 की जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में चर्चा हेतु कार्यसूची:-

क्रसं	प्रश्न कर्ता का नाम	सम्बन्धित विभाग	प्रश्न/प्रस्ताव का विषय	वर्तमान स्थिति
01	02	03	04	05
गत बैठक कार्यवाही की अभिपुष्टि				
01	श्रीमती प्रेमलता, मान्नीय सदस्या जिला परिषद् कुल्लू	अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण प्रथम/ अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण द्वितीय	<p>प्रस्ताव संख्या:- 11/दिनांक 01.08.2011 1.लगवैली, दलीघाट सड़क तथा भूमतीर सड़क का कार्य पूर्ण करने बारे:-</p> <p>मान्नीय सदस्या द्वारा विभाग के गत वर्षों में किए गए कार्यों की सराहना की तथा यह भी अवगत करवाया गया कि भूमतीर सड़क के कार्य को पूर्ण करने का आश्वासन विभाग द्वारा दिनांक 30.11.2013 से दिया जा रहा है तथा गत बैठक में इसे विभाग के आश्वासन पर समाप्त भी किया गया जबकि कार्य आज तक पूर्ण नहीं हुआ है। जिस पर विभाग द्वारा पुनः आश्वासन दिलाया गया कि यह कार्य शीघ्र ही पूर्ण किया जाएगा।</p>	<p>इस कार्यालय की कार्यवाही के पत्र संख्या 3783-3888 दिनांक 13 फरवरी, 2015 तथा स्मरण पत्र संख्या 4444 दिनांक 17 मार्च, 2015 के अन्तर्गत विभाग को सूचित किया गया है लेकिन सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।</p> <p>अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डल द्वितीय ने अवगत करवाया है कि भूमतीर सड़क का कार्य प्रगति पर है जो कि लगातार मौसम की खराबी के कारण पूर्ण नहीं हो पाया, मौसम साफ होने के उपरान्त ही कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।</p>
02	समस्त पदाधिकारीगण	निदेशक, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-9	<p>प्रस्ताव संख्या:-24/दिनांक 01.08.2011 जिला परिषद् कार्यालय में दो अतिरिक्त सेवादार के पद स्वीकृत किए जाने बारे:-</p> <p>जिला परिषद सदन द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त सेवादार के नए पद स्वीकृत करने हेतु निदेशक, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला से प्रस्ताव के माध्यम से पुनः अनुरोध किया गया है कि कार्यालय में एक सेवादार होने के कारण कार्य को सुचारु रूप से नहीं चलाया जा रहा है। क्योंकि जिला परिषद कार्यालय में कार्यरत सेवादार छुट्टी इत्यादि पर जाने से जिला परिषद कार्यालय में कोई अन्य सेवादार नहीं होता है। अतः जिला परिषद कार्यालय कार्य हेतु 2 अतिरिक्त सेवादार के पद स्वीकृत किए जाएँ ताकि कार्य को सुचारु रूप से चलाया जा सके।</p>	<p>इस कार्यालय की कार्यवाही के पत्र संख्या 3783-3888 दिनांक 13 फरवरी, 2015 तथा स्मरण पत्र संख्या 4445 दिनांक 17 मार्च, 2015 के अन्तर्गत विभाग को सूचित किया गया है लेकिन सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।</p>
03	श्री हरि चन्द शर्मा, अध्यक्ष, जिला परिषद्	मान्नीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -02/	<p>प्रस्ताव संख्या 12/दिनांक 27.6.2012 अग्नि शमन केन्द्र खोलने बारे:-</p> <p>सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा समस्त विधायकगणों से</p>	<p>उपायुक्त महोदय ने अवगत करवाया है कि, यदि प्रदेश सरकार द्वारा अग्निशमन केन्द्र की स्वीकृति के उपरान्त महा निदेशक (आरक्षी)-एवं-निदेशक</p>

		<p>अध्यक्ष, एल0ए0डी0सी0 एवं उपायुक्त कुल्लू/ समस्त छः विद्युत परियोजनाएँ जिला कुल्लू/ आदेशक गृह रक्षा सातवीं वाहिनी कुल्लू / स्टेशन फायर आफिसर, फायर स्टेशन कुल्लू हि0प्र0</p>	<p>तथा उपायुक्त महोदय कुल्लू एवं कुल्लू जिले में चल रही पन विद्युत परियोजनाओं से अनुरोध करते हुए अवगत करवाया गया कि विकास खण्ड नगर के पतलीकुहल, विकास खण्ड बन्जार, आनी तथा निरमण्ड में अग्नि शमन केन्द्र न होने के कारण आग लगने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है जबकि इन क्षेत्रों में अधिक आबादी होने के कारण भी यहाँ पर अग्नि शमन केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं। जब भी इन क्षेत्रों में किसी घर में आग लगती है तो आस-पास के सभी घरों को जला देती है।</p> <p>सदन में उपायुक्त महोदय से अनुरोध किया गया कि वे शीघ्र ही एल0ए0डी0सी0 की बैठक में खण्ड स्तरीय बजट से अग्निशमन वाहन खरीदने एवं भवन निर्माण के लिये बजट का प्रावधान करवाए तथा स्थान व स्टाफ के लिए मान्नीय विधायक महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है।</p> <p>अतः मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय हिमाचल प्रदेश सरकार से प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध है कि वे जिला कुल्लू की इस समस्या को गम्भीरता से लेने की कृपा करें। जिला परिषद कुल्लू द्वारा वर्ष 2012 से यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि जिला कुल्लू के नगर स्थित पतलीकुहल में तथा विकास खण्ड बन्जार, आनी तथा निमण्ड में अग्नि शमन केन्द्र स्थापित करने हेतु सम्बन्धित विभागों को आगामी कार्यवाही के आदेश देने की अनुकम्पा करें ताकि जिला कुल्लू की इस समस्या को समय पर सुलझाया जा सके।</p>	<p>अग्निशमन द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है तो लाडा के जिला एवं खण्ड स्तरीय बजट से अग्निशमन वाहन खरीदने एवं भवन निर्माण के लिये राशि उपलब्ध करवाई जा सकती है। पार्वती जल विद्युत परियोजना द्वारा जमा IADF के जिला स्तरीय शेयर में से मु0 4392500/- रु0 अग्निशमन वाहन खरीदने हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 4.03.2015 द्वारा महा निदेशक (आरक्षी)-एवं-निदेशक अग्निशमन शिमला को जारी किए जा चुके हैं। भविष्य में अग्निशमन वाहनों को खड़ा करने, पानी व्यवस्था तथा कर्मियों के लिए आवास, बिजली की वायरिंग आदि के लिये लाडा के जिला शेयर से धनराशि उपलब्ध करवाई जायेगी।</p>
04	श्री ओम प्रकाश शर्मा, सदस्य जिला परिषद	<p>मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार एवं लोक निर्माण विभाग मन्त्री / संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला / मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग शिमला 171002</p>	<p>प्रस्ताव संख्या:- 18/दिनांक 27 जून, 2012 भून्तर से मनीकर्ण-बरशैणी-नकथान सड़क को सैन्ट्रल रिजर्व फंडिंग के तहत डवललेन स्ट्रैचनिंग करने बारे:-</p> <p>भून्तर से मनीकर्ण-बरशैणी-नकथान सड़क मनीकर्ण घाटी की एक सड़क है। यहाँ पर मनीकर्ण, खीरगंगा गर्म पानी के चश्में हैं जहाँ प्राकृतिक तौर पर आनाज पक्ता है। जहाँ गुरुद्वारा, राममन्दिर व धार्मिक पर्यटक स्थल हैं। इसके साथ घाटी में 40 हजार के लगभग आवादी रहती है। मनीकर्ण से बरशैणी तक एन0एच0पी0सी0 का रोड़ है को भी पी0डब्ल्यू0डी0 टेक ओवर करें तथा भून्तर से नकथान तक इस सड़क को पी0डब्ल्यू0डी0 सेन्ट्रल रिजर्व फंडिंग स्कीम में डालकर शीघ्र इसकी डवललेन, स्ट्रैचनिंग करवाएँ ताकि जनता की प्रतिदिन 4-4 घण्टे के जाम से राहत मिल सके।</p> <p>सदन में सचिव जिला परिषद द्वारा अवगत करवाया गया कि दिनांक 25 नवम्बर, 2013 की बैठक में प्राप्त उतर अनुसार संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला द्वारा अवगत करवाया गया है कि</p>	<p>इस कार्यालय की कार्यवाही के पत्र संख्या 3783-3888 दिनांक 13 फरवरी, 2015 तथा स्मरण पत्र संख्या 4451 दिनांक 17 मार्च, 2015 के अन्तर्गत विभाग सूचित किया गया है लेकिन सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।</p>

		<p>इस सम्बन्ध में इनके कार्यालय पत्र संख्या दिनांक 16.11.2013 द्वारा इन्होंने मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग शिमला 171002 को आगामी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा रोष प्रकट करते हुए अवगत करवाया गया कि जब कि सरकार द्वारा भी विभाग को निर्देश दिए गए हैं तो फिर कार्य में बाधा क्यों हो रही है ?</p> <p>मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग शिमला 171002 से सदन द्वारा प्रस्ताव द्वारा अनुरोध किया गया कि उपरोक्त योजनाओं को निर्माण कार्य होना अति आवश्यक है। अतः इस सम्बन्ध में आगामी निर्देश विभाग को देने की कृपा करें। सदन में विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि वे अपने मुख्य कार्यालय के समक्ष इस मामले का उठाए ताकि भून्तर से मनीकर्ण-बरशैणी-नकथान सड़क को सैन्ट्रल रिजर्व फंडिंग के तहत डवललेन स्ट्रैचनिंग की जा सके।</p> <p>अतः पुनः माननीय मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस प्रस्ताव में दी गई योजनाओं को निर्माण कार्य होना अति आवश्यक है। अतः इस सम्बन्ध में आगामी निर्देश विभाग को देने की कृपा करें। सदन में की गई मांग जनहित के लिए आवश्यक है।</p>	
05	अध्यक्ष जिला परिषद्	<p>परियोजना अधिकारी, हिम उर्जा कुल्लू</p> <p>प्रस्ताव संख्या:- 20/दिनांक 27 जून, 2012 स्ट्रीट लाईटें लगाने बारे:-</p> <p>अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि जिला परिषद् द्वारा प्राप्त सभी योजनाओं को जिनकी औपचारिकतायें पूर्ण थी हिम उर्जा मुख्यालय शिमला को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा चुका है।</p> <p>ग्राम पंचायत पिछलीहार, ब्राह्मण, भूमतीर, भढ़ाई में सौर गली रोशनियाँ स्थापित करने के सम्बन्ध में अवगत करवाया जाता है कि इन कार्यों के लिए बजट का प्रावधान नहीं है। इस कार्य के लिए मु0 19117/-रुपये की धनराशी का प्रावधान किया जाए।</p> <p>सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि जिनकी औपचारिकताएँ पूर्ण थी, उन योजनाओं के सम्बन्ध में शीघ्र अति शीघ्र कार्यवाही करें।</p>	<p>व0 परियोजना अधिकारी, हिमऊर्जा कुल्लू ने अवगत करवाया है कि जिला परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 20 दिनांक 27 जून 2015 की औपचारिकतायें पूर्ण करके हिमऊर्जा मुख्यालय शिमला को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गई है। राष्ट्रीय सोलर मिशन के अन्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाईटों की स्थापना नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय भारत सरकार की स्वीकृति उपरान्त करवाई जाती है।</p> <p>हिमऊर्जा मुख्यालय शिमला के पत्र संख्या हिमऊर्जा (एफ0-7)एस0पी0वी0 673-686 दिनांक 22.01.2015 को निर्देश प्राप्त हुये कि नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय भारत सरकार के पास एन0एस0एम0 स्कीमों के असंख्या केस लंबित पड़े हुए हैं और मंत्रालय अभी यह योजना बजट के अभाव के कारण स्वीकृति प्रदान नहीं कर रही हैं। जैसे ही नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय अभी यह योजना बजट के अभाव के कारण स्वीकृति प्रदान नहीं कर रही है तुरन्त आपके विभाग को सूचित कर दिया जाएगा।</p>

	श्री दिनेश सेन माननीय सदस्य जिला परिषद्	वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या:- 03 /दिनांक 26.11.2012 कोठी फण्ड के सम्बन्ध में जानकारी देने बारे:-</p> <p>वन मण्डल अधिकारी, कुल्लू द्वारा अवगत करवाया गया कि दिनांक 27.01.2015 को 11:00 बजे बचत भवन में उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें जिला परिषद द्वारा बनाए गए कमेटी सदस्य श्री हरि चन्द शर्मा, अध्यक्ष जिला परिषद, श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर, उपाध्यक्षा जिला परिषद, श्री दिनेश सेन, माननीय सदस्य जिला परिषद, श्रीमती प्रेमलता ठाकुर, रेशमा ठाकुर माननीय सदस्य जिला परिषद, श्री बुद्धि सिंह, सदस्य जिला परिषद, श्री ओम प्रकाश शर्मा, सदस्य जिला परिषद, श्रीमती रेशमा, सदस्य जिला परिषद तथा श्री हितेश्वर सिंह, सदस्य जिला परिषदों द्वारा बैठक में भाग लिया गया।</p>	<p>सह-संचालक कोठी फण्ड एवम-वन मण्डल अधिकारी, कुल्लू ने अवगत करवाया कि इस सम्बन्ध में 27.01.2015 की बैठक में निर्णय लिया गया कि दुकानदारों की सूची उपायुक्त महोदय को शीघ्र प्रेषित की जाएगी तथा उसके उपरान्त आगामी बैठक निश्चित की जाएगी।</p>
07	अध्यक्ष/ उपाध्यक्षा जि०प०/ प्रेमलता ठाकुर./ दिनेश सेन, श्री बुद्धि सिंह, सदस्य जिला परिषद	पुलिस अधिक्षक महोदय/ भू अधिग्रहण अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण परियोजना अधिकारी, पण्डोह जिला मण्डी/ अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च मार्ग पण्डोह मण्डी / अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डल प्रथम/ अधिशाषी	<p>प्रस्ताव संख्या:- 03 /दिनांक 06.03.2013 ख. अलेऊ, ब्राण, जटेहड़, पनारसा, छाकी, राष्ट्रीय उच्च मार्ग की मुरम्मत करने बारे तथा टनल में बिजली की रोशनी की मात्रा बढ़ाने बारे तथा भून्तर पुल का निर्माण शीघ्र करने बारे:-</p> <p>अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च मार्ग पण्डोह ने अवगत करवाया है कि अलेऊ, सड़क के टेन्डर किए जा चुके हैं तथा कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाएगा। ब्राण, पनारसा, छाकी स्थान पर सड़क मुरम्मत का कार्य जैसे कि पैच वर्क कर दिया गया है तथा पनारसा के निकट क्षतिग्रस्त सड़क का प्राक्कलन स्वीकृति हेतु भेजा गया है तथा स्वीकृति अभी तक नहीं आई है तथा इस स्थान पर क्रेट वॉल का कार्य टेंडर ठेकेदार को दे दिया गया है तथा ठेकेदार के द्वारा इस कार्य को शीघ्र ही कर दिया जाएगा। जोगणी माता के समीप जिस जगह पर कुछ समय पूर्व जीप, व्यास में गिरी थी उस स्थान पर इस कार्यालय के द्वारा केश बैरियर लगाए गए हैं तथा शेष स्थानों पर पैरापीट लगाने का टेंडर ठेकेदार को दिया गया है। जहाँ तक ब्राण की बात है उसका प्राक्कलन जोकि सड़क सुरक्षा के तहत आता है उस प्राक्कलन को स्वीकृति हेतु मन्त्रालय को इनके कार्यालय द्वारा स्वीकृति हेतु भेज दिया है। जैसे ही बजट का प्राक्धान होगा कार्य को पूर्ण कर दिया जाएगा।</p> <p>भून्तर पुल की डी०पी०आर० बनाई जा रही है। डी०पी०आर० को बनाकर स्वीकृति हेतु मन्त्रालय को भेजा जाएगा तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् जल्दी ही कार्य आरम्भ किया जाएगा।</p>	<p>अधिशाषी अभियन्ता, कुल्लू मण्डल-2 ने अवगत करवाया है कि अलेऊ सड़क का कार्य प्रगति पर है। कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।</p> <p>इस कार्यालय की कार्यवाही के पत्र संख्या 3783-3888 दिनांक 13 फरवरी, 2015 तथा स्मरण पत्र संख्या 4438-42 दिनांक 17 मार्च, 2015 के अन्तर्गत विभाग को सूचित किया गया है लेकिन अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p>

		<p>अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डल द्वितीय/प्रबन्धक, लारजी विद्युत परियोजना, बन्जार</p>	<p>सदन में श्री कर्ण सिंह, माननीय विधायक महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि लारजी परियोजना द्वारा बनाई गई टनल का असुरक्षित घोषित किया गया है तथा सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि पुरानी सड़क की भी मरम्मत की जाएगी जिससे कि वाहन उस सड़क से होते हुए जाएँ और यह सड़क सुरक्षित भी है।</p> <p>पुलिस अधिक्षक महोदय द्वारा भी अवगत करवाया गया है कि जिला कुल्लू की सड़कों पर कुछ स्थान ऐसे हैं जो कि दुर्घटना की दृष्टि से अति संवेदनशील है जिस कारण पुलिस विभाग द्वारा कुछ स्थानों को चिन्हित भी किया गया है। जिस पर जिला परिषद सदन द्वारा पुलिस अधिक्षक महोदय से लिस्ट प्रेषित करने हेतु आग्रह किया गया।</p> <p>उपाध्यक्षा जिला परिषद द्वारा अवगत करवाया गया कि जटेहड़ का कार्य किया गया है तथा ब्राण का कार्य अभी नहीं हुआ। इस कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए।</p> <p>माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक निर्माण विभाग प्रथम व द्वितीय तथा राष्ट्रीय उच्च मार्ग को निर्देश दिए गए कि वे उपरोक्त कार्यों को शीघ्र पूरा करें तथा इसके अतिरिक्त परियोजना लारजी को निर्देश दिए गए कि वे टनल में विद्युत सम्बन्धित समस्या का समाधान भी शीघ्र कर इस कार्यालय को अवगत करवाए।</p> <p>इसके अतिरिक्त सदन में एन0एच0आई0 को निर्देश दिए गए कि वे फोर लेन सड़क की जिला कुल्लू से सम्बन्धित समस्त जानकारी से जिला परिषद सदन को अवगत करवाएँ।</p>	<p>पुलिस अधिक्षक महोदय द्वारा सदन को पुलिस विभाग द्वारा कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है जिसकी लिस्ट प्रेषित की गई है।</p>
08	समस्त पदाधिकारीगण	समस्त खण्ड विकास अधिकारी	<p>प्रस्ताव संख्या:- 12/दिनांक 06.03.2013</p> <p>समस्त पदाधिकारीगण</p> <p>13वां वित्तयोग के निर्माण कार्य आरम्भ पूर्व कार्य योजना स्थल पर जिला परिषद का बोर्ड लगाने बारे:-</p>	<p>इस कार्यालय की कार्यवाही के पत्र संख्या 3783-3888 दिनांक 13 फरवरी, 2015 तथा स्मरण पत्र संख्या 4395-4399 दिनांक 17 मार्च, 2015 के अन्तर्गत विभाग को सूचित किया गया है लेकिन सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।</p>
09	समस्त पदाधिकारीगण	माननीय मुख्यमन्त्री हि0प्र0 सरकार शिमला-2/निदेशक एवं सचिव पंचायती राज विभाग	<p>प्रस्ताव संख्या:- 19/दिनांक 06.03.2013</p> <p>जिला परिषद् अध्यक्ष को अपने जिला में तथा माननीय जिला परिषद् सदस्यों को उनके वार्ड क्षेत्र में विकास कार्यों के शिलान्यास/उद्घाटन हेतु अधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान करने बारे:-</p>	<p>माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्णय लिए जाएंगे।</p>

10	कार्यालय जिला परिषद्	समस्त पदाधिकारिगण जिला परिषद् कुल्लू /	प्रस्ताव संख्या:- 21/दिनांक 06.03.2013 <u>आगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण तथा निरीक्षण रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने बारे:-</u>	इस कार्यालय की कार्यवाही के पत्र संख्या 3783-3888 दिनांक 13 फरवरी, 2015 तथा स्मरण पत्र संख्या 4424-4437 दिनांक 17 मार्च, 2015 के अन्तर्गत विभाग को सूचित किया गया है लेकिन सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
11	माननीय अध्यक्ष जिला परिषद् कुल्लू	परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण / खण्ड विकास अधिकारी, नगर	प्रस्ताव संख्या:- 22/दिनांक 06.03.2013 <u>शौचालय निर्माण बारे:-</u> सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान योजना के अन्तर्गत 2 योजनाओं दी गईं जिनके निर्माण कार्य हेतु 13वां वित्तियोग से 20 प्रतिशत धनराशि खर्च की जाएगी। 1. निर्माण सार्वजनिक शौचालय गाँव नगर नजदीक सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत नगर। 2. निर्माण सार्वजनिक शौचालय गाँव शुरु मन्दिर के नजदीक। सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्य श्री दिनेश सेन जी के आग्रह पर विभाग को निर्देश दिए गए कि वे सार्वजनिक शौचालय तथा व्यक्तिगत शौचालयों की विस्तृत जानकारी से सदन को अवगत करवाएँ तथा व्यक्तिगत शौचालय तथा सामुदायिक शौचालयों के सर्वे की लिस्ट भी कार्यालय को प्रेषित करें। सदन में परियोजना अधिकारी द्वारा आश्वासन दिलाया गया कि उनके कार्यालय द्वारा शीघ्र की सर्वे की लिस्ट प्रेषित की जाएगी।	सदन में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि उन द्वारा सारी औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी है तथा 13वां वित्तियोग से 10 प्रतिशत अंशदान धनराशि उपरोक्त दोनों योजनाओं के लिए स्वीकृत की जाए तो आगामी कार्यवाही कर दी जाएगी जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को आश्वासन दिलाया गया कि वे उपरोक्त दोनों योजनाओं के लिए 10 प्रतिशत की धनराशि को स्वीकृत करवाकर उनके कार्यालय को प्रेषित कर दें। इस कार्यालय की कार्यवाही के पत्र संख्या 3783-3888 दिनांक 13 फरवरी, 2015 तथा इस कार्यालय के स्मरण पत्र संख्या 4422-4423 दिनांक 17 मार्च, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
12	समस्त पदाधिकारीगण	निदेशक, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-9	प्रस्ताव संख्या:- 23/दिनांक 06.03.2013 <u>फोटोस्टेट मशीन क्रय करने बारे:-</u>	उप निदेशक, पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश ने उनके कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(5)सी(15)जि0परि0-37350 दिनांक 11 फरवरी, 2015 के अन्तर्गत अवगत करवाया कि जिला परिषद् द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जिला परिषद् अपनी निधि या 13वां वित्तियोग से फोटोस्टेट मशीन क्रय करना चाहती है। यदि इसे 13वां वित्तियोग से क्रय किया जाना है तो जिला परिषद् मामले को अपने सदन में निर्णय हेतु प्रस्तुत करें। उपरोक्त तथा अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने उपरान्त फोटोस्टेट मशीन को क्रय करने हेतु नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लायें।

13	कार्यालय जिला परिषद	समस्त पदाधिकारीगण जिला परिषद कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या:- 25/दिनांक 06.03.2013 सम्पूर्ण स्वच्छता तथा पौधा रोपण एवं पर्यावरण अभियान का आयोजन करने बारे:-</p> <p>सदन ने निर्णय लिया कि समस्त पदाधिकारीगण द्वारा उनके वार्ड क्षेत्र में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान तथा पौधा रोपण अभियान एवं पर्यावरण के सम्बन्ध में कार्यक्रमों को आयोजित करें तथा रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करें</p>	<p>इस कार्यालय की कार्यवाही के पत्र संख्या 3783-3888 दिनांक 13 फरवरी, 2015 तथा इस कार्यालय के स्मरण पत्र संख्या 4424-4437 दिनांक 17 मार्च, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p>
14	श्री हितेश्वर सिंह, माननीय सदस्य जिला परिषद्	उप-निदेशक कृषि विभाग कुल्लू/ उप-निदेशक उद्यान विभाग कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या:- 06/दिनांक 31 जुलाई, 2013</p> <p>1.जैविक खेती (Organic farming) कहां पर की जा रही है। इसके परिणाम कितने वर्षों में आते हैं। जैविक खेती के लिए कैसे वातावरण की आवश्यकता रहती है। क्या जैविक खेती के उत्पाद की गुणवत्ता विभाग द्वारा जांच की जाती है?</p> <p>2. किसानों के लिए विभाग द्वारा कौन-कौन सी कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही है। क्या किसान विभाग की योजनाओं का लाभ उचित तरीके से उठा रहे है। जिन लोगों ने विभाग की योजनाओं का लाभ उठाया है। क्या विभाग उन किसानों के उत्पाद की जांच करता है या नहीं?</p> <p>3. विभाग द्वारा किसानों को जो बीज व कीटनाशक दिया जाता है। वह बाजार में बिकने वाले बीज व कीटनाशक जितने उपयोगी/गुणकारी होते हैं। विभाग द्वारा किसानों को जो बीज व कीटनाशक दिया जाता है क्या विभाग उसके सैंपल भरकर प्रयोगशाला में जांच करवाने देते है या बिना जांच के देते है। जो किसान विभाग से बीज व कीटनाशक खरीद के ले जाते है तो क्या विभाग उन किसानों के खतों में जाकर अपने बीज व कीटनाशक से तैयार उत्पादन का निरीक्षण भी करते है या नहीं ? बीज व कीटनाशक को विभाग किस दर से खरीदता है। उसकी क्या शर्त है। ब्यौरा प्रस्तुत करें ?</p>	<p>सदन में विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में समस्त जानकारी गत बैठकों में प्रस्तुत की गई है।</p>
15	श्री ओम प्रकाश शर्मा, माननीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू	निजि सचिव, श्री जी0एस0बाली, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, परिवहन तथा तकनीकी शिक्षा मन्त्री	<p>प्रस्ताव संख्या:- 07/दिनांक 22.11.2013 श्री ओम प्रकाश शर्मा, माननीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू क. कुल्लू से बड़ोगी, भ्रैण, छमाहण, चतराणी, शांगचण के रूटों में नियमित रूप से बसे चलाने बारे:-</p> <p>क्षेत्रिय प्रबन्धक, हि0प0प0नि0 कुल्लू ने अवगत करवाया है कि कुल्लू से चतराणी मार्ग पर हिमपनि कुल्लू के द्वारा नियमित रूप से बस सेवा चलाई जा रही हैं जबकि बड़ोगी, त्रैहण, शांगचण तथा छमाहण के लिए अभी बसों तथा कर्मचारियों की कमी के कारण सेवाएँ चलाना सम्भव नहीं है जबकि कुल्लू क्षेत्र के द्वारा JNNURM निती के अन्तर्गत 40 बसों की मांग की गई है जिन्हें</p>	<p>क्षेत्रिय प्रबन्धक, हि0प0प0नि0 कुल्लू द्वारा इस सम्बन्ध में सहायक अभियन्त, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मनीकर्ण स्थित शाट को लिखा गया है कि भ्रैण, शांगचण व छमाहण के लिए बस सेवा प्रारम्भ करने के बारे में प्रश्न पूछा गया व इस बारे की गई कार्यवाही को अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं तथा शांगचण व छमाहण मार्ग के संयुक्त निरीक्षण की प्रती तथा वर्तमान में मार्ग की स्थिति का विवरण उपलब्ध करवाने की अनुकम्पा करें ताकि बस सेवाएँ प्रारम्भ करने के बारे में आगामी कार्यवाही की जा सके।</p> <p>इसके अतिरिक्त क्षेत्रिय प्रबन्धक, हि0प0प0नि0 कुल्लू ने अवगत</p>

			<p>कुल्लू क्षेत्र के बन्द पड़े रूटों पर तथा कुछ नव निर्मित मार्गों पर चलाने का प्रस्ताव मुख्य कार्यालय को भेजा गया है। अतः बसों तथा कर्मचारियों की आपूर्ति होते ही उपरोक्त वर्णित मार्गों पर बस सेवाओं के संचालन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।</p> <p>सदन में प्रस्ताव के माध्यम से श्री जी0एस0बाली, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, परिवहन तथा तकनीकी शिक्षा मन्त्री महोदय से अनुरोध किया गया कि उपरोक्त सड़कों पर नियमित रूप से बसें चलाना अति आवश्यक है लेकिन बसों को चलाने हेतु स्टाफ उपलब्ध नहीं है। अतः स्टाफ की नियुक्ति शीघ्र अति शीघ्र करने की अनुकम्पा करें ताकि समस्या का समाधान हो सके।</p>	<p>करवाया है कि कुल्लू से चतराणी मार्ग पर हिमपनि कुल्लू के द्वारा नियमित रूप से बस सेवा चलाई जा रही है जबकि बड़ोगी, त्रैहण, शांगचण तथा छमाहण के लिए अभी बसों तथा कर्मचारियों की कमी के कारण सेवाएँ चलाना सम्भव नहीं है जबकि कुल्लू क्षेत्र के द्वारा JNNURM निती के अन्तर्गत 40 बसों की मांग की गई है जिन्हें कुल्लू क्षेत्र के बन्द पड़े रूटों पर तथा कुछ नव निर्मित मार्गों पर चलाने का प्रस्ताव मुख्य कार्यालय को भेजा गया है। अतः बसों तथा कर्मचारियों की आपूर्ति होते ही उपरोक्त वर्णित मार्गों पर बस सेवाओं के संचालन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।</p> <p>भ्रैण तथा छमाहण रूटों पर अभी बस सेवा चलाया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह मार्ग अभी तक संयुक्त मार्ग निरीक्षण कमेटी के द्वारा वाहन चलाए जाने के उपयुक्त घोषित नहीं किये गये हैं।</p>
16	श्री बुद्धि सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद्	कार्यालय उपायुक्त श्री हरि चन्द्र शर्मा, अध्यक्ष जिला परिषद् एवं श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर, उपाध्यक्षा जिला परिषद् / श्री ओम प्रकाश शर्मा, मान्नीय सदस्य जिला परिषद् / श्री बुद्धि सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद् / श्री दिनेश सेन, मान्नीय सदस्य जिला परिषद् / श्रीमती प्रेमलता ठाकुर मान्नीय सदस्य जिला परिषद्	<p>प्रस्ताव संख्या:-11/दिनांक 25 नवम्बर, 2013 तहसीलदार निवास स्थान के साथ के रास्ते को चौड़ा करने बारे:-</p> <p>सदन में मान्नीय सदस्य द्वारा अवगत करवाया गया कि तहसीलदार कुल्लू के निवास स्थान के आगे काफी स्थान खाली पड़ा हुआ है जिसका कि कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। यदि इस स्थान की मैटलिंग की जाए तो काफी वाहनों को पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। सदन में समस्त पदाधिकारियों द्वारा इस पर सहमति प्रकट की गई। अतः सदन उपायुक्त कुल्लू को प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध करती है कि इस बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाए। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कुल्लू द्वारा अवगत करवाया गया है कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में उपायुक्त महोदय से चर्चा की गई है। यह एक रिहाईशी जगह है और वहाँ से तहसीलदार निवास के लिए भी रास्ता है और इस जगह को पार्किंग हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आश्वासन दिलाया गया कि वे इस सम्बन्ध में स्वयं मान्नीय उपायुक्त महोदय से चर्चा कर समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे।</p> <p>इस सम्बन्ध में एक सब कमेटी बनाई गई, जिसमें कि श्री ओम प्रकाश शर्मा, मान्नीय सदस्य जिला परिषद्, श्री बुद्धि सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद्, श्री दिनेश सेन, मान्नीय सदस्य जिला परिषद् तथा श्रीमती प्रेमलता ठाकुर मान्नीय सदस्य जिला परिषद् एवं उपाध्यक्षा जिला परिषद् व मान्नीय अध्यक्ष महोदय का भी चयन किया गया। मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में बैठक हेतु मान्नीय उपायुक्त महोदय से चर्चा की जाएगी।</p>	<p>इस कार्यालय की कार्यवाही के पत्र संख्या 3783-3888 दिनांक 13 फरवरी, 2015 तथा इस कार्यालय के स्मरण पत्र संख्या 4415 दिनांक 17 मार्च, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p>

17	श्री दिनेश सेन, सदस्य जिला परिषद् कुल्लू	कार्यालय उपायुक्त कुल्लू/ पुलिस अधीक्षक कुल्लू/ श्री हरि चन्द शर्मा, अध्यक्ष जिला परिषद् कुल्लू/ वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या:- 16/दिनांक 25 नवम्बर, 2013 श्री दिनेश सेन, सदस्य जिला परिषद् कुल्लू क. ट्रक यूनियन को बाशिंग में स्थान आबंटित करने बारे:-</p> <p>सदन में माननीय सदस्य द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि ट्रक यूनियन के पास ट्रकों को रखने हेतु अपनी निजि भूमि थी जिसे कि उन द्वारा बेचा गया तथा ट्रकों को बाशिंग स्थान में उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार रखा जाने लगा। यदि ट्रकों को रखने हेतु कोई उपयुक्त भूमि नहीं है तो माननीय सदस्य द्वारा आश्वासन दिलाया गया कि वह ट्रक यूनियन हेतु उन द्वारा उपयुक्त स्थान देखा गया है। ट्रक यूनियन द्वारा उस स्थान पर ट्रकों को रखा जा सकता है।</p> <p>पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि प्रभारी थाना कुल्लू तथा प्रभारी यातायात कुल्लू को इस सन्दर्भ में निर्देश दिये गये हैं कि वाशिंग में ट्रकों को उच्च मार्ग-21 पर एक तरफ लगने दें, अगर ट्रक वेतरतीव लगते हैं तो उनके चालान करें। प्रभारी यातायात कुल्लू ने भी अपनी रिपोर्ट में व्यक्त किया है कि जब ट्रक उच्च मार्ग-21 पर गलत पार्क होते हैं तो उनके चालान मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत किए जाते हैं। इस सन्दर्भ में ट्रक यूनियन के प्रधान, उप प्रधान, चालकों तथा प्रभारी खाद्य निगम भण्डार वाशिंग को पार्किंग के अभाव को देखते हुए हिदायत दी है कि ट्रकों को मन्दिर से आगे सड़क के किनारे एक तरफ कच्ची सड़क में पहाड़ी की तरफ खड़ा किया करें तथा दिन में ट्रकों को समान भरने नहीं दिया जाता है इसलिए ट्रकों के मालिकों द्वारा समान को रात में भरा जाता है ताकि स्थानीय जनता को परेशानी न हो।</p>	<p>पुलिस अधीक्षक, कुल्लू द्वारा अवगत करवाया गया है कि प्रभारी थाना कुल्लू व प्रभारी यातायात कुल्लू को इस सन्दर्भ में निर्देश दिए गए हैं कि वाशिंग में ट्रकों को उच्च मार्ग-21 पर एक तरफ लगने दें, अगर ट्रक वेतरतीव ढंग से लगते हैं तो उनका चालान करें। प्रभारी यातायात कुल्लू ने भी अपनी रिपोर्ट में व्यक्त किया है कि जब ट्रक उच्च मार्ग-21 पर गलत पार्क होते हैं तो उनके चालान मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत किए जाते हैं। इस सन्दर्भ में ट्रक यूनियन के प्रधान, उप प्रधान, चालकों तथा प्रभारी खाद्य निगम भण्डार वाशिंग को पार्किंग के अभाव को देखते हुए हिदायत दी है कि ट्रकों को मन्दिर से आगे सड़क के किनारे एक तरफ कच्ची सड़क में पहाड़ी की तरफ खड़ा किया करें।</p> <p>सदन में उपायुक्त कार्यालय द्वारा अवगत करवाया गया कि यह मामला कोर्ट से सम्बन्धित है। अतः इस पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है।</p>
18	श्रीमती कीर्ति शौरी, माननीय सदस्य जिला परिषद्	अधिकाारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम	<p>प्रस्ताव संख्या :-04 /दिनांक 25.03.2014 क. घियागी से सजवाड़ सड़क का कार्य पूर्ण करने तथा नाले पर पुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने बारे:-</p> <p>अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि घियागी से सजवाड़ सड़क का कार्य जून 2015 तथा पुल का कार्य जून, 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा।</p> <p>ख) बटाहड़ मशियार सड़क का कार्य पूर्ण करने बारे:-</p> <p>अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि बटाहड़ मशियार सड़क का कार्य जून 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा।</p>	<p>क. अधिकाारी अभियन्ता, कुल्लू मण्डल प्रथम ने अवगत करवाया कि घियागी से सजवाड़ सड़क का कार्य जून 2015 तथा पुल का कार्य जून 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा।</p> <p>ख. अधिकाारी अभियन्ता, कुल्लू मण्डल प्रथम ने अवगत करवाया कि बटाहड़ मशियार सड़क का कार्य जून 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा।</p>

19	श्री हितेश्वर सिंह, माननीय सदस्य जिला परिषद्	उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा व उच्च शिक्षा/ प्रधानाचार्य, सर्व शिक्षा अभियान जरड	<p>प्रस्ताव संख्या:- 05 /दिनांक 25.03.2014</p> <p>क. स्कूल भवनों को डिस्मैटल करने की क्या प्रक्रिया है, इसमें कितना समय लगता है, 31 दिसम्बर, 2013 तक कितने स्कूल भवनों को डिस्मैटल किया जा चुका है और निकट भविष्य में कितने भवनों को इस प्रक्रिया के अधीन डाला गया है। डिस्मैटल किये गये व किये जाने वाले भवनों की सूची दी जाए। सर्व शिक्षा अभियान क्या है ?</p> <p>उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुल्लू ने अवगत करवाया है कि स्कूल भवनों को डिस्मैटल करने बारे सर्व प्रथम एस0एम0सी0 का प्रस्ताव व ए0ई0 सर्व शिक्षा अभियान द्वारा स्कूल भवन का असुरक्षित प्रमाण पत्र तथा सर्व रिपोर्ट दी जाती है। उसके उपरान्त इस कार्यालय द्वारा स्कूल भवन को डिस्मैटल करने की अनुमति माननीय उपायुक्त कुल्लू से ली जाती है। समय सीमा कार्य करने की क्षमता पर निर्भर करता है। 31 दिसम्बर 2013 तक 16 स्कूल भवनों को डिस्मैटल किया जा चुका है। रा0प्रा0 पाठशाला नरोगी, सरसेई, अखाड़ा बजार, टेला, सजवाड़, खलोगी, पनीहार, खनाग, बेधार, पेखरी-1, तिन्दर, सचाणी, फवयारी, रशोल, कशेरी, भूमतीर, रूआड़, नगोठी इत्यादि। निकट भविष्य में खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी से असुरक्षित भवनों के मामले मांगे गए हैं लेकिन अभी तक कोई भी मामले इस कार्यालय में नहीं आए हैं।</p> <p>ख. प्राथमिक पाठशाओं और उच्च पाठशालाओं में डैस्क खरीदने की क्या प्रक्रिया है, इसमें कितना समय लगता है, वर्ष 2005 से वर्ष 2013 तक कितने डैस्क विभाग द्वारा खरीदे गये, इसकी पूरी सूची स्कूलों से नाम के साथ लिखित में प्रस्तुत करे।</p> <p>उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुल्लू ने अवगत करवाया है कि प्राथमिक स्कूलों के लिए बजट सिर्फ उन्हीं पाठशालाओं के लिए हैं जो पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत आते हैं ये बजट केवल आनी निरमण्ड के कुछ स्कूलों को जाता है जो इस योजना के अन्तर्गत आते हैं। 2005 से 2013 तक जो डैस्क विभाग द्वारा खरीदे हैं उसकी सूचना माननीय सदस्य को पूर्व बैठकों में दी जा चुकी है।</p> <p>माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभागों को निर्देश दिए गए कि माननीय सदस्य के साथ बैठक का आयोजन कर उन्हें विस्तार से अवगत करवाया जाया।</p>	<p>इस कार्यालय की कार्यवाही के पत्र संख्या 3783-3888 दिनांक 13 फरवरी, 2015 तथा इस कार्यालय के स्मरण पत्र संख्या 4407-4408 दिनांक 17 मार्च, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p>
20	श्री हितेश्वर सिंह, माननीय	माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश	<p>प्रस्ताव संख्या :- 06 /दिनांक 25.03.2014</p> <p>क. भूत्तर में उप कोषागार खोलने बारे:-</p>	

	<p>सदस्य जिला परिषद्</p>	<p>सरकार शिमला-2/ जिला कोषाधिकारी / जिला राजस्व अधिकारी कुल्लू</p>	<p>जिला कोषाधिकारी कुल्लू द्वारा गत बैठक में सदन को विस्तार पूर्वक अवगत करवाया गया था जिस सन्दर्भ में माननीय सदस्य द्वारा अवगत करवाया गया कि भून्तर में भी कोषागार खोला जाना अति आवश्यक है। क्योंकि भून्तर की स्थानीय जनता को चलान व हाई वेल्यू स्टेट के लिए कुल्लू आना पड़ता है। जिससे कि लोगों को अधिक समय लगता है और इन्हें असुविधा भी हो रही है।</p> <p>जिला कोषाधिकारी कुल्लू ने अवगत करवाया है कि भून्तर में उपकोषागार स्थापित करने हेतु अतिरिक्त निदेशक कोष लेखा तथा लाटरी विभाग शिमला द्वारा कुछ सूचना इनके कार्यालय से मांगी गई थी जिसे कि इनके कार्यालय पत्र संख्या फिन (टी0आर0)के0यू0/ईस्टा 2014-152378 दिनांक 18.10.2014 द्वारा प्रेषित की गई है।</p> <p>जिला राजस्व अधिकारी, कुल्लू ने अवगत करवाया कि भून्तर में उप कोषाकार खोलने हेतु भूमि चयन/हस्तांतरण बारे दिशा-निर्देश प्राप्त होने पर मामले को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जायेगा।</p> <p>अतः सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया कि वे तहसील भून्तर में उपकोषागार कार्यालय खोलने हेतु आगामी कार्यवाही के आदेश निदेशक महोदय को जारी करने की अनुकम्पा करें।</p>	<p>इस कार्यालय की कार्यवाही के पत्र संख्या 3783-3888 दिनांक 13 फरवरी, 2015 तथा इस कार्यालय के स्मरण पत्र संख्या 4390 दिनांक 17 मार्च, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p>
<p>21</p>	<p>श्रीमती प्रेमलता ठाकुर, माननीय सदस्या जिला परिषद्</p>	<p>वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल कुल्लू</p>	<p><u>प्रस्ताव संख्या:- 08 /दिनांक 25.03.2014 पेड़ों को सुरक्षित रखने व घास को बचाने हेतु विभाग द्वारा ठोस कदम उठाने बारे:-</u></p> <p>वन मण्डल अधिकारी, कुल्लू ने अवगत करवाया है कि घास लगाने के लिये लोहे की गाडर या पाईप उपलब्ध करवाने बारे मामला इस कार्यालय के पत्र संख्या 5133 दिनांक 22.9.2014 उच्च कार्यालय को भेजा गया था। उच्च अधिकारी ने सूचित किया है कि वर्तमान में विभाग के पास कोई ऐसी योजना नहीं है जिस के अन्तर्गत गाँव वालों को कम मूल्यों पर लोहे के गाडर उपलब्ध करवाए जा सके। इस सम्बन्ध में उच्च कार्यालय से इनके कार्यालय को आदेश प्राप्त हुये है कि इस सम्बन्ध में मामला जिलाधीश अथवा जलागम विकास मण्डल से पत्राचार करें। इस कार्यालय के पत्र संख्या 8460 दिनांक 15.1.2015के द्वारा जलागम विकास मण्डल से पत्राचार किया गया है । अतः इस पर फैसला होने पर सदन को अवगत करवाया जायेगा।</p>	<p>इस कार्यालय की कार्यवाही के पत्र संख्या 3783-3888 दिनांक 13 फरवरी, 2015 तथा इस कार्यालय के स्मरण पत्र संख्या 4409 दिनांक 17 मार्च, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p>

22	श्री दिनेश सेन, मान्नीय सदस्या जिला परिषद्	श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री मन्त्री एवं अध्यक्ष जिला योजना समिति/ सचिव, जिला योजना समिति एवं उपायुक्त कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या:-10 /25.03.2014 जिला योजना समिति की बैठक का अयोजन करने बारे:-</p> <p>जिला पंचायत अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि बैठक का आयोजन श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री मन्त्री एवं अध्यक्ष जिला योजना समिति द्वारा ही किया जा सकता है। अतः सदन द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से मान्नीय अध्यक्ष जिला योजना समिति से अनुरोध किया गया कि वे शीघ्र जिला योजना समिति की बैठक करवाने के निर्देश देने की अनुकम्पा करें।</p>	<p>अति० जिला दण्डाधिकारी कुल्लू ने अवगत करवाया है कि जिला योजना समिति की बैठक का आयोजन श्री प्रकाश चौधरी मान्नीय आबकारी एवं कराधान तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री मन्त्री एवं अध्यक्ष जिला योजना समिति द्वारा ही किया जा सकता है और सदन द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से उनसे बैठक किए जाने बारे अनुरोध भी किया गया है।</p>
23	श्री बुद्धि सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद्	श्री ओम प्रकाश शर्मा, सदस्य जिला परिषद्/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू, क्षेत्रिय अस्पताल कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या:- 12 /दिनांक 25.03.2014 ख. भून्तर (पी०एच०सी०) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों की भारी भीड़ को देखते हुए एक होमगार्ड के जवान की तैनाती की जाए।</p> <p>सदन में मान्नीय सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा, द्वारा आश्वासन दिलाया गया कि वे आर०के०एस० की बैठक में इस मामले का सुलझाने का प्रयास करेंगे। मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए की आर०के०एस० के तहत एक होमगार्ड की नियुक्ति करें। इसके अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू द्वारा इनके कार्यालय की शाशिकाय (लवामतदपदह ठवकल) की बैठक में इस समस्या का समाधान करें तथा लिए गए निर्णय के सम्बन्ध में इस कार्यालय को सूचित करें ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके।</p> <p>सदन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि आर०के०एस० की बैठक में इस मामले को सुलझाया जा सकता है। अतः सदन में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय उपरान्त मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू का निर्देश दिए गए कि वे इस मामले को आर०के०एस० भून्तर की बैठक में इस योजना को स्वीकृत करवाएँ ताकि भून्तर (पी०एच०सी०) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों की सुरक्षा हेतु होमगार्ड की नियुक्ति हो जाए।</p> <p>सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए गए कि वे बी०एम०ओ० जरी को निर्देश जारी करें कि आर०के०एस० की बैठक रखी जाए ताकि उपरोक्त समस्या का समाधान किया जा सके।</p>	<p>सदन में खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जरी द्वारा अवगत करवाया गया कि रोगी कल्याण समिति की आगामी बैठक में इस मामले को सुलझाया जा सकता है।</p>

24	माननीय अध्यक्ष जिला परिषद्	अधिशायी अभियन्ता, सिंचाई विभागकुल्लू/ अधिशायी अभियन्ता, विद्युत विभाग मनाली/ अधिशायी अभियन्ता, लो0नि0वि0 मण्डल न0 02/ वन मण्डल अधिकारी, कुल्लू	प्रस्ताव संख्या:- 16/दिनांक 25.03.2014 <u>क. मनाली शहर के सौन्दर्यकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण करने बारे:-</u> <u>ख. दुआड़ा मेहा, भूझणू सड़क को चौड़ा तथा निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने बारे:-</u>	क. अधिशायी अभियन्ता, कुल्लू मण्डल द्वितीय ने अवगत करवाया है कि मनाली शहर के सौन्दर्यकरण का कार्य 98 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। जैसे ही विद्युत विभाग वाले अपना Over Head Line underground करने का कार्य पूर्ण करेंगे, इस कार्य को शीघ्र पूर्ण कर दिया जाएगा। ख. अधिशायी अभियन्ता, कुल्लू मण्डल द्वितीय ने अवगत करवाया है कि दुआड़ा से मेहा सड़क का निर्माण वन विभाग द्वारा किया गया था तथा यह सड़क वन विभाग के अधीन है। अभी यह सड़क वन विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित नहीं की गई है।
25	श्री दिनेश सेन, अध्यक्ष जिला परिषद्	अधिशायी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम	प्रस्ताव संख्या:-04/दिनांक 20 जून, 2014 <u>लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के नजदीक के गोडाउन का स्थान परिवर्तित करने बारे:-</u> अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि इस मण्डल के नजदीक के गोडाउन का स्थान परिवर्तित करने बारे स्थान चिन्हित किया जा रहा है। परन्तु अभी तक ऐसा कोई स्थान सड़क के साथ नहीं मिल रहा है जैसे ही सड़क के साथ स्थान मिलेगा गोडाउन को परिवर्तित करने हेतु कार्यवाही कर दी जाएगी।	अधिशायी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डल प्रथम ने अवगत करवाया कि लोक निर्माण विभाग के गोडाउन का स्थान परिवर्तित करने बारे स्थान चिन्हित किया जा रहा है परन्तु अभी तक ऐसा कोई स्थान सड़क के साथ नहीं मिल रहा है जैसे ही सड़क के साथ स्थान मिलेगा गोडाउन को परिवर्तित करने हेतु कार्यवाही कर दी जाएगी। अधिशायी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डल द्वितीय ने अवगत करवाया है कि गोडाउन के लिए स्थान चिन्हित कर दिया गया है। इस सन्दर्भ में अधिशायी अभियन्ता, हि0प्र0लो0नि0वि0 मैकेनिकल से विचारविमर्श करके उच्च कार्यालय को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। तत्पश्चात् गोडाउन को वर्कशॉप में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।
26	श्री बुद्धि सिंह, सदस्य जिला परिषद्	निजी सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला	प्रस्ताव संख्या:-05/दिनांक 20 जून, 2014 <u>तहसील भून्तर में नाईव तहसीलदार तथा तहसील कुल्लू में नाईव तहसीलदार के पद भरने बारे:-</u> सदन में माननीय सदस्य श्री बुद्धि सिंह जी द्वारा अवगत करवाया गया कि भून्तर को तहसील बनाकर लगभग 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है लेकिन नाईव तहसीलदार न होने के कारण स्थानीय जनता के कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त तहसील कुल्लू में भी नाईव तहसीलदार का पद रिक्त है। सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मुख्यमन्त्री महोदय से अनुरोध किया गया कि तहसील कुल्लू व भून्तर में नाईव तहसीलदार के रिक्त पदों को भरने की अनुकम्पा करें ताकि स्थानीय जनता की परेशानियों को कम किया जा सके।	इस कार्यालय की कार्यवाही के पत्र संख्या 3783-3888 दिनांक 13 फरवरी, 2015 तथा इस कार्यालय के स्मरण पत्र संख्या 4446 दिनांक 17 मार्च, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

27	समस्त पदाधिकारीगण जिला परिषद् कुल्लू	निजी सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2	<p>प्रस्ताव संख्या:-07/दिनांक 20 जून, 2014 विकास खण्ड कुल्लू को 2 भागों में विभाजित करने बारे:-</p> <p>सदन द्वारा माननीय मुख्यमन्त्री महोदय का भून्तर को तहसील का दर्जा देने हेतू आभार प्रकट किया गया और यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि विकास खण्ड कुल्लू में 70 पंचायतें हैं और विकास खण्ड नगर में 40, विकास खण्ड बन्जार में 36, विकास खण्ड आनी में 32 तथा विकास खण्ड निरमण्ड में 26 पंचायतें हैं। जिसमें कि सबसे बड़ा खण्ड (Block) विकास खण्ड कुल्लू है जिसमें 70 पंचायतें हैं तथा 70 पंचायतों का कार्यभार सम्भालना बहुत मुश्किल हो रहा है। यदि 70 पंचायतों में से कार्यक्षेत्र के अनुसार उसका एक अन्य विकास खण्ड भून्तर बनाया जाए या इसे 2 भागों में विभाजित किया जाए तो कार्यो को सुगमता से सम्पन्न किया जा सकता है।</p> <p>सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मुख्यमन्त्री महोदय से अनुरोध किया गया कि विकास खण्ड कुल्लू को 2 भागों/ खण्डों में विभाजित करने की अनुकम्पा करें।</p>	<p>इस कार्यालय की कार्यवाही के पत्र संख्या 3783-3888 दिनांक 13 फरवरी, 2015 तथा इस कार्यालय के स्मरण पत्र संख्या 4446 दिनांक 17 मार्च, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p>
28	श्री मेघ सिंह ठाकुर, अध्यक्ष पंचायत समिति कुल्लू	अधिकाशापी अभियन्ता, यान्त्रिक लोका निर्माण विभाग कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या:- 11/दिनांक 20 जून, 2014 पुल एन0एच0 पिरडी तलोगी के पास मुरम्त करने बारे</p> <p>सहायक अभियन्ता, यान्त्रिक उपमण्डल न0 02 हि0प्र0 लो0नि0विभाग शमशी ने बैठक में मौखिक तौर पर अवगत करवाया गया था और इसका मुरम्त का प्राक्कलन अधिकाशापी अभियन्ता, कुल्लू मण्डल न0 2 हि0प्र0 लो0नि0 विभाग कुल्लू को इस कार्यालय के पत्र संख्या 3282-3284 दिनांक 9.9.2014 को मु0 1397000/- केवल का प्रेषित किया गया है, तत्पश्चात अधिकाशापी अभियन्ता कुल्लू मण्डल न0 2 द्वारा प्राक्कलन को स्वीकृती हेतू अधीक्षण अभियन्ता षष्टम वृत्त हि0प्र0 लो0नि0 विभाग कुल्लू को उनके कार्यालय पत्र संख्या 13475-76 दिनांक 27.9.2014 को स्वीकृति हेतू प्रेषित किया है तथा उपरोक्त प्राक्कलन की स्वीकृति के पश्चात्, धन उपलब्ध होने पर कार्य को सुचारू रूप से प्रारम्भ किया जाएगा।</p>	<p>इस कार्यालय की कार्यवाही के पत्र संख्या 3783-3888 दिनांक 13 फरवरी, 2015 तथा इस कार्यालय के स्मरण पत्र संख्या 4400 दिनांक 17 मार्च, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p>
29	समस्त जिला परिषद सदस्य	सचिव, जिला परिषद कुल्लू/समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जिला कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या:-14/दिनांक 20 जून, 2014 13वां वितायोग के कार्यो की समीक्षा व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने बारे:-</p>	<p>इस कार्यालय की कार्यवाही के पत्र संख्या 3783-3888 दिनांक 13 फरवरी, 2015 तथा इस कार्यालय के स्मरण पत्र संख्या 4395-4399 दिनांक 17 मार्च, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p>

30	समस्त सदस्य जिला परिषद कुल्लू	मान्नीय मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-02/ मान्नीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मन्त्री हि0प्र0 सरकार शिमला-02	<p>प्रस्ताव संख्या:-16/दिनांक 20 जून, 2014 13वां वितायोग के अंतर्गत जिला परिषदों को आबंटित राशि के बारे में :-</p> <p>13वां वितायोग के अंतर्गत जिला परिषद को जो राशि आबंटित की जा रही है उसे व्यय करने के लिए मार्गदर्शिका में पूर्व में आमूल चूल परिवर्तन किया गया था जिस कारण इस राशि को व्यय करने में समस्या आ रही थी। इस मार्गदर्शिका में फिर से परिवर्तन करने हेतु जिला परिषद सदस्यों ने मान्नीय मुख्यमंत्री महोदय व मान्नीय पंचायती राज मन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह किया था। इस निवेदन को स्वीकार करते हुए इस मार्गदर्शिका में पुनः विभाग द्वारा परिवर्तन किया गया है, इस परिवर्तन करने के बाद ही इस राशि को व्यय किया जा सका है। जिला परिषद कुल्लू मार्गदर्शिका में परिवर्तन करने के लिए मान्नीय मुख्यमंत्री महोदय व मान्नीय पंचायती राज मन्त्री हि0प्र0 सरकार का धन्यवाद करती है। सदन में चर्चा की गई कि जिला परिषद को 13वां वितायोग जिला परिषद के अंतर्गत जो राशि प्राप्त हो रही है उसका 20 प्रतिशत मनरेगा करवरजेन्स पर खर्च किया जाना है। जिला परिषद को मनरेगा कनवरजेन्स में राशि खर्च करने हेतु किसी भी विकास खण्ड से मांग प्राप्त नहीं हुई है। जिला परिषद इस संबध में मान्नीय मुख्यमंत्री महोदय व मान्नीय पंचायती राज मन्त्री हि0प्र0 सरकार से प्रस्ताव के माध्यम से आग्रह करती है कि इस 20 प्रतिशत मनरेगा कनवरजेन्स के लिए रखी गई राशि को सीधे तौर पर अन्य कार्य योजनाओं को 13वां वितायोग मार्गदर्शिका में दी गई है पर खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि इस राशि को 31 मार्च से पूर्व व्यय किया जा सके तथा पंचायत पदाधिकारी संघ हि0प्र0 द्वारा इस मार्गदर्शिका में संशोधन करने बारे जो आग्रह किया है उस अनुसार मार्गदर्शिका में संशोधन करने की कृपा करें।</p>	<p>इस कार्यालय की कार्यवाही के पत्र संख्या 3783-3888 दिनांक 13 फरवरी, 2015 तथा इस कार्यालय के स्मरण पत्र संख्या 4393-4394 दिनांक 17 मार्च, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p>
31	समस्त पदाधिकारीगण	मान्नीय मुख्यमंत्रीमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 सचिव, पंचायती राज विभाग शिमला-2/ निदेशक पंचायती	<p>प्रस्ताव संख्या:- 17/दिनांक 20 जून, 2014 जिला परिषद सचिव तथा स्टाफ को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि व पदोन्निति प्रदान करने बारे:-</p> <p>सदन में समस्त सदस्यों द्वारा यह अवगत करवाया गया कि जिला परिषद के अधिकारी व स्टाफ का कार्य अति प्रशंसनीय है जिसके कारण जिला परिषद लगातार तीन बार राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार पाने में समक्ष हुई है। इसके अतिरिक्त मान्नीय मुख्यमंत्री महोदय हि0प्र0 सरकार द्वारा भी गत वर्ष 15 अगस्त के पावन अवसर पर जिला परिषद को एक लाख रू0 के पुरस्कार से</p>	<p>इस कार्यालय की कार्यवाही के पत्र संख्या 3783-3888 दिनांक 13 फरवरी, 2015 तथा इस कार्यालय के स्मरण पत्र संख्या 4447 दिनांक 17 मार्च, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p>

राज विभाग
हिमाचल प्रदेश
शिमला-09

नवाजा गया है। इसलिए जिला परिषद के अधिकारी व स्टाफ को उनके पद पर पदोन्निति तथा एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि इनाम के तौर पर दी जानी आवश्यक है ताकि जिला परिषद के अधिकारी यव स्फॉफ के मनोबल में बढौतरी हो तथा आगामी भविष्य में और अधिक सराहनीय कार्य करें। इस संदर्भ में जिला परिषद ने जिला कुल्लू के विधायकों की उपस्थिति में पूर्व में तीन बार प्रस्ताव पारित किए हैं। समस्त सदस्य जिला परिषद ने सचिव एवं उनके दिशा निर्देशों पर कार्य कर रहे स्टाफ की सराहना की। सचिव जिला परिषद की नई सोच एवं योजनाएँ परिषद को सम्मान दिलाने में अहम है जिसमें कि उन द्वारा जिला परिषद की अपनी **web Site** को **design** करना भी महत्वपूर्ण कदम है।

इस पर उपाध्यक्षा जिला परिषद ने भी जिला परिषद के अधिकारी व स्टाफ की कार्यो की सराहना की। यह अवगत करवाया कि वह पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवाएँ दे रही हैं और भविष्य में भी अपनी सेवाएँ देती रहेगीं। पिछले कुछ वर्षों से जिला परिषद के वेहतरीन अधिकारी व स्टाफ के कारण कार्यो में पारदर्शिता आई है तथा कार्यो को निपुणता से निभाया गया जिस कारण कि जिला परिषद को लगातार तीन बार पी0ई0ए0एस0 के अन्तर्गत जिला परिषद कुल्लू को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सदन के इस निर्णय से माननीय सदस्य अत्यधिक सन्तुष्ट हुए और कहा कि जिला परिषद के सचिव व स्टाफ को उनके पद पर पदोन्निति तथा एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलने पर माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार से निदेशक पंचायती राज हिमाचल प्रदेश शिमला-09 तथा सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश शिमला -02 के माध्यम से अनुरोध किया जाता है कि सदन की इस मांग को शीघ्र पूर्ण कर जिला परिषद स्टाफ के मनोबल को बढ़ाने में जिला परिषद का सहयोग करें ताकि आने वाले भविष्य में जिला परिषद की और अहम भूमिका हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि जिला परिषद को जो इनाम मिला है इसके हकदार जिला परिषद के सचिव व स्टाफ है क्योंकि तीन बार एक जिला परिषद को ईनाम मिलना जिला परिषद के लिए अपने आप में ही एक गौरवमयी सूचक है। जिला परिषद कुल्लू ने हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की पंचायती राज संस्थाओं में नाम रोशन किया है। जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। इसका श्रेय मैं जिला परिषद सचिव व स्टाफ को पूर्ण रूप से प्रदान करता हूँ। जिला परिषद सरकार से

			मांग करती है कि सचिव जिला परिषद को उनके पद पर पदोन्नति प्रदान की जाए ताकि वह और उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं व सोच से प्रदेश को योगदान दे सकें। जिला परिषद को अपनी निधि से या ईनाम से प्राप्त राशि से अपने स्टाफ को नकद ईनाम देने की अनुमति भी प्रदान की जाए।																											
32	श्री दिनेश सेन, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू	वन मण्डल अधिकारी / समस्त खण्ड विकास अधिकारी	<p>प्रस्ताव संख्या- 02 /दिनांक 24.09.2014 वन अधिकारी समितियों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने बारे:-</p> <p>क. मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू द्वारा सदन में अधिकारी से पूछा गया कि वन अधिकार समितियाँ जिले के अन्तर्गत किन-किन चरणों में कहाँ-कहाँ बनी है ?</p> <p>ख. मान्नीय सदस्य द्वारा विभाग से पूछा गया कि इन समितियों के क्या -2 कार्य /अधिकार हैं ? विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें। अतः मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि वे उपरोक्त जानकारी से मान्नीय सदस्य तथा इस कार्यालय को अवगत करवाएँ।</p>	<p>खण्ड विकास अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वांछित सूचना निम्न प्रकार से है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>जिले का नाम</th> <th>उप मण्डल का नाम</th> <th>गाँव स्तर पर कुल गठित सबन्धित उप मण्डल बार</th> <th>विकास खण्ड का नाम</th> <th>गाँव स्तर पर कुल गठित सम्बन्धित विकास खण्ड बार</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">कुल्लू</td> <td>बंजार</td> <td>90</td> <td>बंजार</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>कुल्लू</td> <td>142</td> <td>कुल्लू</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>मनाली</td> <td>65</td> <td>नगर</td> <td>174</td> </tr> <tr> <td>आनी</td> <td>52</td> <td>आनी</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>कुल योग</td> <td>349</td> <td></td> <td>349</td> </tr> </tbody> </table> <p>वन मण्डल अधिकारी शमशी द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि इनके कार्यालय में जिले के अन्तर्गत वन अधिकार समितियों की सूची उपलब्ध नहीं है। जहाँ तक इन समितियों के कार्य/अधिकारों का सम्बन्ध है, इस सन्दर्भ में (The Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Amendment Rules, 2012" की छाया प्रति मान्नीय सदस्य जिला परिषद को उपलब्ध करवाई गई है। जिसमें वन अधिकार समितियों के कार्यों/अधिकारों का उल्लेख किया गया है।</p> <p>खण्ड विकास अधिकारी निरमण्ड द्वारा इस सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी को मान्नीय सदस्य को प्रेषित किया गया है।</p>	जिले का नाम	उप मण्डल का नाम	गाँव स्तर पर कुल गठित सबन्धित उप मण्डल बार	विकास खण्ड का नाम	गाँव स्तर पर कुल गठित सम्बन्धित विकास खण्ड बार	कुल्लू	बंजार	90	बंजार	90	कुल्लू	142	कुल्लू	33	मनाली	65	नगर	174	आनी	52	आनी	32	कुल योग	349		349
जिले का नाम	उप मण्डल का नाम	गाँव स्तर पर कुल गठित सबन्धित उप मण्डल बार	विकास खण्ड का नाम	गाँव स्तर पर कुल गठित सम्बन्धित विकास खण्ड बार																										
कुल्लू	बंजार	90	बंजार	90																										
	कुल्लू	142	कुल्लू	33																										
	मनाली	65	नगर	174																										
	आनी	52	आनी	32																										
	कुल योग	349		349																										
33	श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जि0प0	परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कुल्लू / जिला राजस्व अधिकारी कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या :-03/ दिनांक 24.9.2014</p> <p>क. सदन में मान्नीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि आई0आर0डी0पी0 और बी0पी0एल0 में पात्र उम्मीदवार के चयन का क्या नियम है, इस में पटवारी की क्या भूमिका है ?</p> <p>ख. आय प्रमाण पत्र पटवारी द्वारा अभ्यर्थी को जारी किया जाता है उसके क्या मापदण्ड है ?</p>	<p>अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई आई0आर0डी0पी0 और बी0पी0एल0 में पात्र उम्मीदवार के चयन की मार्गदर्शिका प्रतिलिपि मान्नीय सदस्य को उपलब्ध करवाई गई है।</p>																										

34	श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जि0प0	अधिशायी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग- 1/ अधिशायी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग-2	<p>प्रस्ताव संख्या :-04/दिनांक 24.9.2014</p> <p>क. विभाग के पास कितने पुराने रोड़ है, जो अब उपयोग में नहीं है, नाम सहित विवरण स्पष्ट करें ? विभाग ने कई जगह लोगों की जमीने सड़क बनाने या विश्राम गृह बनाने व अन्य कार्यों के लिए अधिग्रहित की होती है और बाद में यह सब सड़क , विश्राम गृह व अन्य कार्य बदल दिए जाते हैं, तो उस अधिग्रहित जमीन का विभाग क्या उपयोग करता है पूरी सूचि जगह के नाम सहित दी जाए ?</p> <p>अधिकारी द्वारा अवगत करवाया कि विभाग के पास ऐसा कोई पुराना रोड़ नहीं है, जो अब उपयोग में नहीं है और न ही विभाग ने लोगों की जमीने सड़क बनाने या विश्राम गृह व अन्य कार्यों के लिए अधिग्रहित की है, जिसे बाद में सड़क विश्राम गृह व अन्य कार्य के लिए बदल दिया गया हो।</p> <p>ख. सड़क में तारकोल बिछाने के क्या नियम है, तारकोल किन-किन महीने में बिछाई जाती है, तारकोल बिछाने के लिए तापमान कितना होना चाहिए ?</p> <p>अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रत्येक सड़क की दशा के बारे में विस्तृत विवरण तथा पूर्व में की गई टायरिंग का विवरण उच्चतर कार्यालय को प्रेषित किया जाता है। उसी के आधार पर विभिन्न मापदण्डों को ध्यान में रख कर टायरिंग का प्लान उच्चतर कार्यालय द्वारा किया जाता है लोक निर्माण विभाग में तारकोल बिछाने का उपयुक्त समय अप्रैल से जून माह तक तथा सितम्बर से अक्टूबर माह तक होता है। तारकोल बिछाने के लिए वातावरण का कम से कम तापमान 10 डिग्री होना चाहिए।</p>	<p>अधिशायी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डल द्वितीय द्वारा अवगत करवाया गया है कि विभाग के पास ऐसा कोई पुराना रोड़ नहीं है, जो अब तक उपयोग में नहीं है और न ही विभाग ने लोगों की जमीने सड़क बनाने या विश्राम गृह व अन्य कार्यों के लिए अधिग्रहित की है, जिस बाद में सड़क, विश्राम गृह व अन्य कार्य के लिए बदल दिया गया हो।</p> <p>प्रत्येक सड़क की दशा के बारे में विस्तृत विवरण तथा पूर्व में की गई टारिंग का विवरण उच्चतर कार्यालय को प्रेषित किया जाता है। उसी के आधार पर विभिन्न मापदण्डों को ध्यान में रख कर टारिंग का प्लान उच्चतर कार्यालय द्वारा किया जाता है लोक निर्माण विभाग में तारकोल बिछाने का उपयुक्त समय अप्रैल से जून माह तक तथा सितम्बर से अक्टूबर माह तक होता है। तारकोल बिछाने के लिए वातावरण का कम से कम तापमान 10 डिग्री होना चाहिए ?</p>
35	मान्नीय अध्यक्ष जिला परिषद/ श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद	वन मण्डल अधिकारी, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क शमशी	<p>प्रस्ताव संख्या:- 05/दिनांक 24.9.2014</p> <p>मान्नीय अध्यक्ष जिला परिषद/ श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जनहित की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाने बारे:-</p> <p>मान्नीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि अधिकारी उनके विभाग की (जी0एच0एन0पी0 के सम्बन्ध में) Power Point presentation तैयार कर लायें ताकि सदन में विस्तृत चर्चा की जा सके। इस सम्बन्ध में अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि वे आगामी बैठक में जी0एच0एन0पी0 की Power Point presentation तैयार कर जिला परिषद सदन में प्रस्तुत करेंगे।</p>	<p>इस कार्यालय की कार्यवाही के पत्र संख्या 3783-3888 दिनांक 13 फरवरी, 2015 तथा इस कार्यालय के स्मरण पत्र संख्या 4450 दिनांक 17 मार्च, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p>

36	मान्तीय अध्यक्ष जिला परिषद	निजी सचिव, मान्तीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2	<p>प्रस्ताव संख्या:- 06/दिनांक 24.9.2014 पटवारियों के रिक्त पदों को भरने बारे:-</p> <p>सदन में मान्तीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि पटवारियों के रिक्त पदों के कारण जनहित के कार्यों में बाधाएँ आ रही हैं। जिला कुल्लू में ही नहीं बल्कि हिमाचल के सभी जिलों में पटवारी के पद रिक्त हैं। अतः मान्तीय मुख्यमन्त्री महोदय से प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध है कि पटवारियों के रिक्त पदों को भरने की अनुकम्पा करें।</p>	<p>इस कार्यालय की कार्यवाही के पत्र संख्या 3783-3888 दिनांक 13 फरवरी, 2015 तथा इस कार्यालय के स्मरण पत्र संख्या 4446 दिनांक 17 मार्च, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p>
37	मान्तीय अध्यक्ष जिला परिषद	निजी सचिव, मान्तीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2/ अधिशायी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डल-2, कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या:- 07/दिनांक 24.9.2014 ए0डी0 हाईड्रो प्रोजेक्ट सड़क जगतसुख से लिंक रोड़ बनारा तक (3 कि0मी0 आगे तक) सरकार इस सड़क को पी0डब्ल्यू0डी0 के अधीन करने बारे:-</p> <p>मान्तीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि ए0डी0 हाईड्रो प्रोजेक्ट सड़क जगतसुख से लिंक रोड़ बनारा तक (3 कि0मी0 आगे तक) बहुत ही क्षतिग्रस्त है जिसे कि मुरम्मत करवाया जाना अति आवश्यक है। यदि इस सड़क को लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाता है तो सड़क की देख-रेख आसानी से की जा सकती है।</p> <p>सदन में मान्तीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिशायी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डल-2, कुल्लू जिला कुल्लू को निर्देश दिए गए कि वे अपने स्तर पर उनके मुख्यालय व मान्तीय मन्त्री महोदय को प्रस्तावना तैयार कर प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त ए0डी0 हाईड्रो प्रोजेक्ट को भी निर्देश दिए गए कि वे भी उपरोक्त सड़क को लोक निर्माण विभाग को सौंपने सम्बन्धि कार्यवाही अमल में लाएँ।</p> <p>अतः मान्तीय मुख्यमन्त्री महोदय हिमाचल प्रदेश से सरकार से प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध किया गया कि ए0डी0 हाईड्रो प्रोजेक्ट सड़क जगतसुख से लिंक रोड़ बनारा तक (3 कि0मी0 आगे तक) की सड़क को लोक निर्माण विभाग के अधीन करने अथवा सौंपने की अनुकम्पा करें।</p>	<p>अधिशायी अभियन्ता, कुल्लू मण्डल द्वितीय ने अवगत करवाया है कि जगतसुख से लिंक रोड़ बनारा सड़क को हि0प्र0लो0नि0वि0 के अन्तर्गत लाने हेतु प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। परन्तु ए0डी0 हाईड्रो प्रोजेक्ट से अभी तक रैवन्यू पेपर इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए हैं। इन दस्तावेजों के प्राप्त होने के उपरान्त इस सड़क को इस विभाग के अन्तर्गत लाने के लिए उचित कार्यवाही करके उच्च कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।</p>
38	श्रीमती रेश्मा ठाकुर, मान्तीय सदस्या जिला परिषद	अधिशायी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या:- 08/दिनांक 24.9.2014 जल सिंचाई कुहल नगर हरीपुर से नथान पंचायत के लंराकेला गाँव तक निर्माणित कुहल में पानी की आपूर्ति करने बारे:-</p> <p>अधिशायी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वा0 मण्डल कुल्लू ने</p>	<p>अधिकारी ने अवगत करवाया है कि सिंचाई योजना हरिपुर</p>

			<p>अवगत करवाया है कि सिंचाई योजना हरिपुर नाला से नथान में पानी नगर मोड़ तक उपलब्ध है। उसके आगे भारी हिमपात व वर्षा के कारण यह कुहल जगह-जगह भूमि धंसने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। जहाँ तक किसानों को सिंचाई बिल देने की आपति है, इस सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा केवल खरीफ 2011-2012 तथा रबी 2012-13 के बकाया राशि के ही बिल दिये गये हैं जिस में केवल सात आठ किसानों ने ही भुगतान किया है। जबकि 2013-14 में कोई भी सिंचाई बिल नहीं दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख है कि कुहल के क्षतिग्रस्त होने के बाद कोई भी बिल नहीं दिया गया है। विभाग द्वारा कुहल की मुरम्त का कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा।</p>	<p>नाला से नथान में पानी नगर मोड़ तक उपलब्ध है। उसके आगे भारी हिमपात व वर्षा के कारण यह कुहल जगह-जगह भूमि धंसने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। जहाँ तक किसानों को सिंचाई बिल देने की आपति है, इस सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा केवल खरीफ 2011-2012 तथा रबी 2012-13 के बकाया राशि के ही बिल दिये गये हैं जिसमें केवल सात आठ किसानों ने ही भुगतान किया है। जबकि 2013-14 में कोई भी सिंचाई बिल नहीं दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख है कि कुहल के क्षतिग्रस्त होने के बाद कोई भी बिल नहीं दिया गया है। जहाँ तक कुहल के क्षतिग्रस्त भाग को ठीक करने का प्रश्न है इस वर्ष अधिक बारिश व वर्ष पड़ने के कारण कार्य नहीं किया जा सका है। कुहल की मुरम्त का कार्य मौसम के ठीक होने के उपरान्त ही अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण करके शुरू किया जा सकेगा।</p>
39	श्रीमती रेष्मा ठाकुर, माननीय सदस्या जिला परिषद	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कुल्लू/ क्षेत्रीय प्रबन्धक हिमाचल पथ परिवहन निगम कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या:-09/दिनांक 24.9.2014 भून्तर जीया लैफ्ट बैंक से नगर पतली कुहल मनाली व वापिस मनाली, पतलीकुहल, नगर, जीया, भून्तर के लिए 3 बसें प्रातः, दोपहर व शाम को चलाने बारे:-</p> <p>क्षेत्रीय प्रबन्धक, हि0प0प0नि0 कुल्लू ने अवगत करवाया है कि वर्तमान में इन रूटों पर बस सेवाओं का संचालन बसों तथा कर्मचारियों की कमी के कारण सम्भव नहीं है जबकि कुल्लू क्षेत्र के द्वारा JNNURM निति के अन्तर्गत 40 बसों की मांग की गई है जिनमें इन वर्णित रूटों का प्रस्ताव भी भेजा गया है। अतः बसों तथा कर्मचारियों की आपूर्ति होते ही उपरोक्त वर्णित मार्गों पर बस सेवाओं के संचालन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।</p>	<p>पुनः क्षेत्रीय प्रबन्धक, हि0प0प0नि0 कुल्लू ने अवगत करवाया है कि वर्तमान में इन रूटों पर बस सेवाओं का संचालन बसों तथा कर्मचारियों की कमी के कारण सम्भव नहीं है जबकि कुल्लू क्षेत्र के द्वारा JNNURM निति के अन्तर्गत 40 बसों की मांग की गई है जिनमें इन वर्णित रूटों का प्रस्ताव भी भेजा गया है। अतः बसों तथा कर्मचारियों की आपूर्ति होते ही उपरोक्त वर्णित मार्गों पर बस सेवाओं के संचालन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।</p>
40	अध्यक्ष पंचायत समिति बन्जार	अध्यक्ष, जिला परिषद कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या:-10/दिनांक 24.9.2014 अध्यक्ष पंचायत समिति बन्जार पंचायत समिति हाल के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करवाने बारे:-</p> <p>सदन में अध्यक्ष पंचायत समिति बन्जार द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया कि बन्जार में पंचायत समिति हाल के लिए धनराशि की आवश्यकता है। यदि जिला परिषद से धनराशि का प्रावधान किया जाए तो हाल का निर्माण किया जा सकता है।</p>	<p>माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अध्यक्ष पंचायत समिति बन्जार को आश्वासन दिया गया कि वे एल0ए0डी0सी0 से पंचायत समिति हाल के निर्माण के लिए धनराशि का प्रावधान करवाएँगे।</p>
41	श्री दिनेश सेन, माननीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू	क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिमाचल पथ परिवहन निगम कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या 03/दिनांक 16.01.2015</p> <p>माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि वर्तमान में मनाली से हरीद्वार के लिए जो भी बसें चल रही है। वह सभी साधारण बसें ही हैं। हरिद्वार जो कि बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, ऐसे में इतना दूरस्थ क्षेत्र तय कर पाना</p>	<p>क्षेत्रीय प्रबन्धक हि0प0प0नि0 कुल्लू ने अवगत करवाया है कि मामला मुख्य कार्यालय हिमपनि शिमला को स्वीकृती हेतु भेजा गया है तथा स्वीकृती प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही की जाएगी व तदनुसार अवगत करवा दिया जाएगा।</p>

			रात्री के समय कठिन होता है। यदि रात्री के समय में बेहतर किस्म की बसों को चलाया जाए तो, आज की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है।	
42	श्री दिनेश सेन, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू	परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या 04 / दिनांक 16.01.2015</p> <p>मान्नीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि वर्ष 2015-2016 के लिए मनरेगा का शैल्फ अभी तक क्यों अनुमोदित नहीं हुआ है। नए वित्त वर्ष के लिए मात्र तीन माह शेष है। वर्ष 2015-2016 का शैल्फ समय पर अनुमोदित न होने के कारण विकास कार्यों को सम्पन्न करवाने में बाधाएँ आ रही हैं।</p> <p>इसके अतिरिक्त 13वां वित्तयोग की धनराशी जिला परिषद को प्राप्त हो चुकी है। यदि मनरेगा व 13वां वित्तयोग की राशी का समायोजन करना हो तो परेशानियाँ उठानी पड़ रही है।</p> <p>सदन में अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि विकास खण्ड कुल्लू तथा नगर से मनरेगा का शैल्फ पारित किया जा चुका है लेकिन विकास खण्ड कुल्लू आनी तथा निरमण्ड से भी शीघ्र ही मनरेगा का शैल्फ पारित किया जाएगा तो समस्त विकास खण्डों से पारित शैल्फ को जिला परिषद में अनुमोदन/स्वीकृती हेतू रखा जाएगा।</p>	सदन में परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2015-2016 के वार्षिक श्रम बजट तथा कार्ययोजनाओं के शैल्फ ग्राम सभा तथा पंचायत समिति से अनुमोदन उपरान्त जिला परिषद में स्वीकृती हेतू प्रस्तुत किया जाएगा।
43	श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद	कार्यालय उपायुक्त कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या 06 / दिनांक 16.1.2015</p> <p>मलाणा परियोजना -2 का एल0ए0डी0सी0 के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशी जमा हुई है और कितना बकाया है ? किन् -2 योजनाओं के लिए कितने-कितने बजट की योजनाओं को पारित किया गया है और कितनी योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है और वर्तमान स्थिति से अवगत करवाएँ ?</p>	मान्नीय उपायुक्त महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि मलाणा परियोजना 2 का एल0ए0डी0सी0 के अन्तर्गत कुल मु0 1.00 करोड़ की राशि जमा की गई है और तथा 12.59 करोड़ बकाया है। निर्माण ब्रिज मलाणा मु0 486000/-, निर्माण मलटीपर्वज भवन मलाणा मु0 6310000/-, निर्माण 15 न0 एस0पी0वी0 स्ट्रीट लाईट मलाणा 357000, सुधार डबल्यू0एस0एस0 मलाणा मु0 1441000, निर्माण मलटीपर्वज भवन ढालपुर कुल्लू मु0 1406000 रुपये का खर्च किया गया।
44	श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद	कार्यालय उपायुक्त कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या 07 / दिनांक 16.01.2015</p> <p>श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद</p> <p>मान्नीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि अटल सदन क्या है? इससे क्या सहूलियत होगी। अटल सदन निर्माण के लिए बजट का क्या प्रावधान है। पूर्व में पैसा कहाँ से आया ?</p>	अटल सदन एक Multi Purpose complex बनाना था जिसका शिलान्यास भूतपूर्व मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। इसमें विश्राम गृह, ऑडिटोरियम, Indoor Games, दशहरा कमेटी के कार्यालय इत्यादि की सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जानी थी। इस ईमारत के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपये की धनराशी स्वीकृत की थी, जिसमें से एक करोड़ रुपये की धनराशि लाडा से और 60 लाख रुपये की धनराशि दशहरा कमेटी से ली गई थी और 60 लाख रु0 की राशी दशहरा कमेटी को वापिस कर दी गई है। वर्तमान समय में, मान्नीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश ने अटल सदन को हि0प्र0लो0नि0वि0 को विश्राम गृह हेतू प्रस्तावित किया है जिसकी drawing वास्तुकार, शिमला द्वारा बनाई गई है और इसकी फिजीविलिटी रिपोर्ट उच्च कार्यालय को भेज दी गई है और प्रारम्भिक प्राक्कलन बनाया जा रहा है।

45	श्री हितेश्वर सिंह, माननीय सदस्य जिला परिषद्	कार्यालय विद्युत विभाग कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या 08/दिनांक 16.01.2015</p> <p>क. गत वर्ष बर्फबारी के कारण विद्युत विभाग को कितनी क्षति पहुँची है ? जिला कुल्लू में जिन गाँवों को आज तक विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, यह कब तक उपलब्ध करवाई जाएगी ? विद्युत विभाग को किस प्रकार का नुकसान हुआ है तथा किन कारणों से हुआ, अवगत करवाएँ ?</p> <p>सदन में अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया है कि बर्फबारी के कारण अनुमानित 5.00 करोड़ का नुकसान हुआ है। विद्युत मण्डल कुल्लू के अधिन सभी गाँवों में बिजली आपूर्ति भेज दी गई है। शेष 4 गाँवों में अभी तक विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है (बनाउगी, पाली, गाहर, काडा) । तारें एवं पोलों के टूटने के कारण नुकसान हुआ है। यह नुकसान भारी बर्फबारी के कारण हुआ है।</p> <p>ख. विभाग द्वारा ठेकेदार से लेबर सप्लाई मांगी गई थी, यदि मांगी गई थी, तो इस की अदायगी लेबर को की जायेगी या ठेकेदार को की जाएगी ?</p> <p>अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि बिजली को बहाल करने के लिए विभाग द्वारा ठेकेदारों से लेबर सप्लाई मांगी गई भी तथा कार्य के प्राक्कलन अनुसार ठेकेदारों के माध्यम से ही मजदूरों को लेबर अदायगी दी गई।</p> <p>इसके अतिरिक्त अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि विभाग के पास कर्मचारी के रिक्त पद पड़े हैं तथा इन पदों को शीघ्र भरना अति आवश्यक है। अतः सदन में प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मुख्यमन्त्री महोदय से अनुरोध किया गया कि विद्युत विभाग में रिक्त पदों को भरा जाए तथा विभाग को निर्देश दिए गए कि वे रिक्त पदों की सूचना इस कार्यालय में प्रेषित करें ताकि उसे माननीय मुख्यमन्त्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।</p>	<p>क. सदन में अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया है कि बर्फबारी के कारण अनुमानित 5.00 करोड़ का नुकसान हुआ है। विद्युत मण्डल कुल्लू के अधिन सभी गाँवों में बिजली आपूर्ति भेज दी गई है। शेष 4 गाँवों में अभी तक विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है (बनाउगी, पाली, गाहर, काडा) । तारें एवं पोलों के टूटने के कारण नुकसान हुआ है। यह नुकसान भारी बर्फबारी के कारण हुआ है।</p> <p>ख. अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि बिजली को बहाल करने के लिए विभाग द्वारा ठेकेदारों से लेबर सप्लाई मांगी गई भी तथा कार्य के प्राक्कलन अनुसार ठेकेदारों के माध्यम से ही मजदूरों को लेबर अदायगी दी गई।</p> <p>अधिशायी अभियन्ता, विद्युत विभाग द्वारा रिक्त पदों की सूचना कार्यालय को प्रेषित की गई है।</p>
46	श्री ओम प्रकाश, मान० सदस्य जि०प०	खण्ड विकास अधिकारी, कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या 09/दिनांक 16.01.2015</p> <p>13वां वित्तियोग के कार्यों को आरम्भ करने बारे:-</p>	<p>सदन में अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ बैठक रखी जा चुकी है।</p>
47	श्रीमती प्रेमलता, माननीय सदस्या जिला परिषद् कुल्लू	अधिशायी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डल-2	<p>प्रस्ताव संख्या 10/दिनांक 16.01.2015</p> <p>क. कुल्लू से शिलवधानी सड़क जो तेलंग होकर जा रही है। यह कब तक पूरी होगी और सरवरी पुल से शिशामाटी तक इस सड़क का काम कब तक शुरू होगा ताकि शिशामाटी में जो जाम की गम्भीर समस्या है। वह दूर हो सके।</p> <p>कुल्लू से शिलवधानी सड़क जो तेलंग होकर जा रही है, अभी</p>	<p>अधिशायी अभियन्ता, कुल्लू मण्डल न० 02 ने अवगत करवाया है</p>

			<p>इस सड़क पर सोलिंग का कार्य चल रहा है जो मार्च, 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा और टायरिंग का कार्य मई, जून, 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा। सरवरी पुल से शिशामाटी तक की सड़क का कार्य जैसे ही वन विभाग से इस सड़क की स्वीकृति आएगी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा इसकी डी0पी0आर0 तैयार कर दी जाएगी।</p> <p>ख. कुल्लू से तिरुन समालंग रोड़ का काम कब तक पूरा होगा। इसका समय निर्धारण किया जाये।</p> <p>सदन में अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि कुल्लू से तिरुन समालंग रोड़ का काम दिसम्बर, 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा।</p>	<p>कि कुल्लू शिलवधानी सड़क का कार्य प्रगति पर है जो कि मौसम की खराबी के कारण धीमी गति से हो रहा है यह कार्य इस वर्ष पूर्ण कर दिया जाएगा। सरवरी पुल से शिशामाटी तक सड़क का कार्य अभी शुरू नहीं हो सकता क्योंकि इसकी Forest clearance वन विभाग ने आना अपेक्षित है।</p> <p>अधिकांश अभियन्ता, कुल्लू मण्डल न0 02 ने अवगत करवाया गया कि अलेऊ सड़क का कार्य प्रगति पर है। कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। .3</p>
48	<p>अध्यक्ष जिला परिषद् कुल्लू/ श्री दिनेश सेन, माननीय सदस्य जिला परिषद् कुल्लू</p>	<p>समस्त पदाधिकारीगण/ पुलिस अधीक्षक नगर परिषद् कुल्लू तथा मनाली, अध्यक्ष नगर भून्तर तथा बन्जार/ समस्त कार्यालयाध्यक्ष जिला कुल्लू</p>	<p>प्रस्ताव संख्या:-12/दिनांक 16.01.2015 CWP No 6631/2014-Bhartiya Govansh Rakshan Parishad H.P. Vs. state of H.P. & other:-</p> <p>सचिव जिला परिषद् ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त केस के संदर्भ में दिए गए निर्णय को सदन में बिन्दुवार विस्तार से पढ़कर सुनाया तथा जिला परिषद् सदस्यों को पारित निर्णय के संबंध में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने से अवगत करवाया। इस संबंध में सदन में चर्चा की गई कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का वे सम्मान करते हैं और इसकी अनुपालना में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जिला परिषद् सदस्य अपने वार्ड की ग्राम पंचायतों में जाकर गौसदन निर्माण हेतु जमीन व अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करने बारे विस्तार में चर्चा करेंगे। गौसदन निर्माण हेतु यदि ग्राम पंचायत को धनराशि की आवश्यकता रहती है तो जिला परिषद् सदस्य 13वां वित्तायोग से गौसदन निर्माण हेतु बजट का प्रावधान करेंगे।</p> <p>सदन में चर्चा की गई कि जिला कुल्लू में अधिकतर जो आवारा पशु हैं वे अधिकतर नकारा हैं लोक नकारा होने पर पशुओं को खुला छोड़ देते हैं जो कि निन्दनीय है और इनको पहचानना मुश्किल है, क्योंकि पशुओं की पहचान हेतु जो टैगिंग की जा रही है लोग पशुओं के कान काटकर या अन्य तरीके से टैग निकालकर पशुओं को आवारा छोड़ रहे हैं। इस बीच पशुपालन विभाग से बैठक में उपस्थित डा0 संजीव पाल ने अवगत करवाया कि यदि पशुओं का पंजीकरण टैग के बजाय चिप के माध्यम से किया जाए तो यह अधिक बेहतर रहेगा क्योंकि टैग को लोग पशुओं के कान काटकर तक निकाल रहे हैं और पशुओं को सड़कों पर आवारा छोड़ रहे हैं। इस चिप से पशुओं को पहचानने में</p>	<p>पुलिस अधीक्षक कुल्लू ने अवगत करवाया है कि माननीय उच्च न्यायालय हि0प्र0 द्वारा जारी दिशा निर्देश इस जिला के समस्त पर्यवेक्षक अधिकारी एवं प्रभारी थाना/चौकियों को प्रचलित किए गए हैं व इन आदेशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित अभियोग पंजीकृत किए गए हैं जिनका ब्यौरा निम्न है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Under Section 429 IPC=1 Case 2. Under Section 289 IPC=3 Case 3. Under Section 114 of HP Police Act, 2007= 1 Case <p>इस सम्बन्ध में जिला परिषद् पदाधिकारियों द्वारा भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।</p>

			<p>बहुत आसानी होगी क्योंकि चिप लगाने से लोग पशुओं को अवारा या खुला छोड़ने से डरेंगे। इस चिप की कीमत लगभग 150/- रू0 प्रति चिप है।</p> <p>इसके अतिरिक्त डा0 संजीव ने सदन में Power Point Presentation दी जिसमें उन्होंने दिखाया कि जिला कुल्लू में अधिकतर गाय लौंचा (कैंसर) रोग से पिड़ित है तथा यह कैंसर पशुओं को बारन घास खाने के कारण हो रहा है। रोग से ग्रसित गाय के दूध पीने पर इसका बुरा प्रभाव मनुष्य के शरीर पर भी पड़ता है। इस रोग से पशुओं को बचाने के लिए इस तरह की घास पशुओं को न दें तथा इस तरह की घास को खेतों व जंगलों से पूर्ण रूप से नष्ट करना होगा। इस संबंध में आम जनता को अवगत करवाएँ तथा विभाग को सहयोग प्रदान करें ताकि पशुओं को इन रोगों से बचाया जा सके इससे लोग पशुओं को खुला छोड़ना कम कर देंगे। डा0 संजीव द्वारा विस्तार से दी गई इस संस्तुति की उपस्थिति सभी सदस्यों एवं उपस्थित अधिकारियों ने भरसक सराहना की। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/समस्त सदस्य जिला परिषद ने प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय पंचायती राज विभाग हि0प्र0 से आग्रह किया कि पशुओं के पंजीकरण करने हेतु चिप पर जो व्यय होना है उस व्यय हेतु 13वां वित्तियोग से धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जाए।</p>	
49	श्री दिनेश सेन, माननीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू	जिला नियन्त्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या:- 13/दिनांक 16.01.2015 मिट्टी का तेल ऑपन बंजारों में बेचा जाने बारे:-</p> <p>सदन में माननीय सदस्य द्वारा अवगत करवाया गया कि कुल्लू मनाली तथा बन्जार जैसे शहरी क्षेत्रों में मिट्टी का तेल ऑपन बेचा जाना चाहिए जिससे कि स्थानीय जनता की पेशानियों को कम किया जा सके। अभी तक यह सरकारी डिपो में ही उपलब्ध होता है।</p> <p>माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला नियन्त्रक एवं खाद्य आपूर्ति नियन्त्रण विभाग को निर्देश दिए गए कि वे मिट्टी के तेल को ऑपन कुल्लू, मनाली तथा बन्जार में बेचें तथा सूचना इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।</p>	<p>जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त मामले कुल्लू ने अवगत करवाया है कि जिला में सफेद मिट्टी तेल की विक्री खुले बाजार में करने हेतु जिला में कार्यरत मिट्टी तेल थोक विक्रेता मै0 सूद एण्ड कम्पनी, अखाड़ा बाजार कुल्लू को अधीकृत करने के सम्बन्ध मामला इस कार्यालय द्वारा निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले एवं राज्य स्तरीय समन्वयक मण्डलीय प्रबन्धक भारतीय तेल निगम शिमला-9 से उठाया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक स्वीकृती प्राप्त होने पर सफेद मिट्टी तेल की आपूर्ति/विक्री खुले बाजार में आरम्भ कर दी जायेगी।</p>
50	समस्त पदाधिकारीगण	निदेशक पंचायती राज शिमला-9/ सचिव पंचायती राज विभाग शिमला-2	<p>प्रस्ताव संख्या:-14/दिनांक 16.01.2015 पंचायत भवन सरवरी को मार्च तक ऑकेशन करने बारे:-</p>	<p>पंचायत भवन हॉल की निलामी मु0 902202/-रूपये में की गई है।</p>

51	श्री हरि चन्द शर्मा, अध्यक्ष जिला परिषद कुल्लू	खाद्य नियंत्रक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या:-15/दिनांक 16.01.2015 ग्राम पंचायत पोशना में व्यक्तिगत डिपू को कृषि सहकारी समिति के नाम हस्तांतरण करने बारे:-</p> <p>सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत पोशना के ब्रौ में व्यक्तिगत डिपू को कृषि सहकारी समिति के नाम हस्तांतरण किया जाना आवश्यक है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला खाद्य नियंत्रक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कुल्लू को निर्देश दिए गए कि वे उपरोक्त डिपू का नाम परिवर्तित करें।</p>	<p>जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त मामले कुल्लू ने अवगत करवाया है कि ब्रौ में कार्यरत मिट्टी तेल का डिपो सहकारी सभा के पक्ष में स्वीकृत कर दिया गया है तथा सहकारी सभा द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान द्वारा मिट्टी तेल का वितरण कार्य शुरू कर दिया गया है।</p>
52	श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर, उपाध्यक्षा जिला परिषद कुल्लू	प्रबन्धक निदेशक, हिमाचल पथ परिवहन निगम, शिमला/ क्षेत्रीय प्रबन्धक हि0प0प0निगम कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या :-17/दिनांक 16.01.2015 मनाली से सोलन हेतु सीधी बस सेवा उपलब्ध करवाने बारे:-</p> <p>सदन में माननीय उपाध्यक्षा जिला परिषद द्वारा अवगत करवाया गया कि मनाली से सोलन के लिए निगम की या निजी कोई भी सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है जबकि सोलन में कुल्लू/मनाली जिला कुल्लू के बहुत से विधार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा उन्हें पहले कुल्लू/मनाली से शिमला तथा शिमला से सोलन के लिए बस सेवा लेनी पड़ती है जिस कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः एक निगम की बस सेवा मनाली से सोलन के लिए सीधी चलाई जाए ? क्षेत्रीय प्रबन्धक, हि0प0प0नि0 कुल्लू ने अवगत करवाया है कि उनके प्रबन्धक निदेशक, महोदय को उनके विभाग द्वारा उनके कार्यालय पत्र संख्या 6214 दिनांक 17.1.2015 द्वारा अनुरोध किया गया है।</p> <p>इसके अतिरिक्त प्रस्ताव के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल पथ परिवहन निगम शिमला से सदन द्वारा अनुरोध किया गया कि वे उपरोक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने की अनुकम्पा करें।</p>	<p>क्षेत्रीय प्रबन्धक हि0प0प0नि0 कुल्लू ने अवगत करवाया है कि मामला मुख्य कार्यालय हिमपनि शिमला को स्वीकृती हेतु भेजा गया है तथा स्वीकृती प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही की जाएगी व तदनुसार अवगत करवा दिया जाएगा।</p>
53	श्री बुद्धि सिंह, माननीय सदस्य जिला परिषद	खण्ड विकास अधिकारी, कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या :-19/दिनांक 16.01.2015 निर्माण ट्रेक्टर रोड़ पक्का सेस राम के घर से गोपाल राम के घर तक :-</p> <p>सदन में माननीय सदस्य जिला परिषद द्वारा अवगत करवाया गया कि निर्माण ट्रेक्टर रोड़ पक्का सेस राम के घर से गोपाल के घर तक की योजना का कार्य करवाने हेतु प्रधान द्वारा लक्ष्मी विकास समिति हाट को कार्य योजना का निर्माण करने हेतु एन0ओ0सी0 दी गई है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए कि वे इस योजना का निर्माण कार्य नियमों व नितियों की अन्तर्गत करवाएँ।</p>	<p>इस कार्यालय की कार्यवाही के पत्र संख्या 3783-3888 दिनांक 13 फरवरी, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p>

54	अध्यक्ष जिला परिषद	सचिव जिला परिषद, कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या :-20/दिनांक 16.01.2015 गैरेज निर्माण करने बारे :-</p> <p>सदन में माननीय अध्यक्ष जिला परिषद द्वारा अवगत करवाया गया कि जिला परिषद भवन में गैरेज पुराना हो चुका है जिसका कि पक्का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में तैयार प्राक्कलन अनुसार पी0ई0ए0आई0एस0 ईनाम से प्राप्त धनराशि के अन्तर्गत इसका निर्माण किया जाए। अतः अध्यक्ष महोदय द्वारा सचिव जिला परिषद को गैरेज निर्माण हेतु आगामी कार्यवाही के निर्देश दिए गए।</p>	<p>इस सम्बन्ध में अवगत करवाया जाता है कि 1 अप्रैल 2015 तक कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।</p>
55	समस्त पदाधिकारीगण	निदेशक पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-9	<p>प्रस्ताव संख्या:-21/दिनांक 16.01.2015 ज्ञानवर्धन भ्रमण कार्यक्रम हेतु स्वीकृति प्रदान करने बारे:-</p> <p>सदन में चर्चा उपरान्त अवगत करवाया गया कि जिला परिषद कुल्लू ने लगातार तीन बार पंचायत सशक्तीकरण एवं जबावदेह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए ईनाम राशि प्राप्त की है। दिनांक 15 अगस्त 2014 को माननीय मुख्यमन्त्री महोदय हि0प्र0 सरकार के कर कमलों द्वारा जिला परिषद कुल्लू को उत्कृष्ट कार्यों के लिए मु0 01 लाख रू0 की राशि ईनाम के रूप में प्रदान की गई है। सदन में इस बारे गहन चर्चा हुई। सदन ने निदेशक महोदय पंचायती राज विभाग से प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध किया है कि जिला परिषद कुल्लू के समस्त सदस्यों व स्टाफ को भारत भ्रमण पर जाने की अनुमति दी जाए तथा इस भ्रमण हेतु व्यय करने की स्वीकृति जिला परिषद निधि या पंचायत सशक्तीकरण एवं जबावदेह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्राप्त ईनाम राशि में से खर्च करने की अनुमति दी जाए। भविष्य में यदि आर0जी0पी0एस0 से ज्ञानवर्धक भ्रमण (Exposure Tour) हेतु राशि प्राप्त होती है तो निधि से व्यय की गई राशि की उसमें से क्षतिपूर्ति कर ली जाएगी।</p>	<p>निदेशक पंचायती राज विभाग ने अवगत करवाया गया कि जिला परिषद अपनी निधि के अन्तर्गत नियम 23(एफ) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम, 2002 के अनुसार ज्ञानवर्धन भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन कर सकती है।</p>
56	कार्यालय जिला परिषद कुल्लू	सचिव जिला परिषद कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या:-22/दिनांक 16.01.2015 Rainbow enterprises outsource के माध्यम से पंचायत भवन मनाली में रखे गए कर्मचारियों के बारे में:-</p> <p>Rainbow enterprises outsource के माध्यम से पंचायत भवन मनाली में कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इस कम्पनी के साथ एक वर्ष का अनुबंध था। इस अनुबंध को एक वर्ष आगे तक बढ़ाने की जिला परिषद कार्यालय स्वीकृति प्रदान करती है।</p>	<p>सदन को अवगत करवाया जाता है कि इस अनुबंध को एक वर्ष आगे तक बढ़ाने हेतु आगामी कार्यवाही के निर्देश दिए गए।</p>

57	समस्त पदाधिकारीगण	निदेशक पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-9	<p>प्रस्ताव संख्या:-23/दिनांक 16.01.2015 कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने हेतु बायोमैट्रिक मशीन क़य करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने बारे:-</p> <p>सदन में चर्चा की गई कि कार्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु बायोमैट्रिक मशीन लगाना आवश्यक है ताकि अनुशासन बना रहे तथा उपस्थिति दर्ज करने में पारदर्शिता रहे। अतः सदन में प्रस्ताव के माध्यम से निदेशक पंचायती राज महोदय से अनुरोध है कि इस मशीन को लगाने व क़य करने की स्वीकृति प्रदान करें।</p>	<p>इस कार्यालय की कार्यवाही के पत्र संख्या 3783-3888 दिनांक 13 फरवरी, 2015 तथा इस कार्यालय के स्मरण पत्र संख्या 4445 दिनांक 17 मार्च, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p>
58	समस्त पदाधिकारीगण	खण्ड विकास अधिकारी कुल्लू/ श्री देवराज, कनिष्ठ अभियन्ता, विकास खण्ड कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या:-24/दिनांक 16.01.2015 जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में मुरम्त कार्य करवाने बारे:-</p>	<p>सदन को अवगत करवाया जाता है कि कार्य आरम्भ कर दिया जाता है तथा 15 अप्रैल तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।</p>
59	कार्यालय जिला परिषद कुल्लू	खण्ड विकास अधिकारी कुल्लू	<p>प्रस्ताव संख्या:-25/दिनांक 16.01.2015 पंचायत घर जलूग्रां को गिराने की स्वीकृति प्रदान करने बारे:-</p> <p>सदन में पंचायत घर जलूग्रां की तकनीकी रिपोर्ट बारे चर्चा की गई। सबन्धित कनिष्ठ अभियन्ता ने इसकी ठववा टंसनम मु0 133262/- रुपये आंकी है तथा ग्राम पंचायत ने इसको गिराने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जिला परिषद को प्रेषित किया है। सदन में इस पर विस्तार से चर्चा की तथा गिराने की स्वीकृति प्रदान की है।</p>	<p>खण्ड विकास अधिकारी, कुल्लू को आगामी कार्यवाही हेतु लिखा जा चुका है।</p>

दिनांक 26 मार्च 2015 की जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में पूछे जाने वाले प्रश्न:-

60	श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर, उपाध्यक्षा जिला परिषद कुल्लू	राजस्व अधिकारी कुल्लू	<p>प्रश्न संख्या:-01/दिनांक 26 मार्च, 2015</p> <p>1. सदन में माननीय उपाध्यक्षा जिला परिषद द्वारा पूछा गया कि मनाली ग्राम पंचायत में मनुधाम के लिए जनता की निजि भूमि की सेक्शन 118 के तहत अनुमति प्राप्त करने हेतु दस्तावेज जिलाधीश महोदय को प्रेषित किए गए हैं। इस की अनुमति सरकार से प्राप्त हुई है या नहीं। वर्तमान स्थिति से अवगत करवाएँ ?</p> <p>पंचायत कंटराई जटेहड़ विहाल में गौशाला 2002 से चल रही है। यह गौशाला हैरिटेज हिमालय ट्रस्ट चला रहा है तथा इसी क्षेत्र में सरकारी जमीन ढाई बीघा है। यदि यह जमीन उपरोक्त ट्रस्ट के नाम हस्तांतरित की जाए। इस सम्बन्ध में अनुमति प्राप्ति हेतु दस्तावेज उपायुक्त महोदय को प्रेषित किए गए हैं। इस सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करवाएँ ?</p> <p>2. रेवन्यू गाँव की परिभाषा क्या है ?</p>	<p>इस कार्यालय के पत्र संख्या 4229 दिनांक 21.3.2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p>
61	श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर, उपाध्यक्षा जिला परिषद कुल्लू	उप निदेशक, पशु पालन विभाग	<p>प्रश्न संख्या:-02/दिनांक 26 मार्च, 2015</p> <p>सदन में माननीय उपाध्यक्षा जिला परिषद द्वारा पूछा गया कि क्या मछली फार्म पतलीकुहल में पशु पालन विभाग के पास विभाग की निजि भूमि है या नहीं ? यदि है तो कितनी है ?</p> <p>गौशाला जटेहड़ विहाल को स्टोर की आवश्यकता है क्या पशुपालन विभाग भूमि गौशाला के नाम हस्तांतरण कर सकता है यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में की जाने वाली औपचारिकताओं के बारे में अवगत करवाएँ ?</p>	<p>इस कार्यालय के पत्र संख्या 4230 दिनांक 21.3.2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p>
62	श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर, उपाध्यक्षा जिला परिषद कुल्लू	उपायुक्त कुल्लू	<p>प्रश्न संख्या:-03/दिनांक 26 मार्च, 2015</p> <p>सदन में माननीय उपाध्यक्षा जिला परिषद द्वारा जिला कुल्लू की विभिन्न तहसीलों में राजस्व रिकार्ड ऑन लाईन कब तक अप डेड हुआ है। मनाली में आज दिनांक तक 4 से 5 सालों का रिकार्ड भी अप डेड नहीं हुआ है। नियम के अनुसार रिकार्ड 24 घण्टों के भीतर अप डेड होना चाहिए। इस सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करवाया जाय।</p>	<p>इस कार्यालय के पत्र संख्या 4231 दिनांक 21.3.2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p>

63	श्री दिनेश सेन, माननीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू	उपायुक्त कुल्लू	<p>प्रश्न संख्या:-04/दिनांक 26 मार्च, 2015</p> <p>सदन में माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि वामतट मार्ग से जो भी वाहन भूतनाथ पुल (सरवरी) को पार करके आखाड़ा-बाजार की ओर आते हैं, वर्तमान में उन्हें पंचायत भवन सरवरी से होते आना पड़ता है, जिसके कारण इन्हें लगभग आधा कि०मी० का फालतू सफर तय करना पड़ता है। दूसरे यह सारा मार्ग काफी हद तक तंग भी है। जिससे वाहनों के साथ-साथ पैदल यात्रियों को भी भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। क्या प्रशासन के पास इस विकट समस्या के समाधान हेतु इसे कैलाश थिएटर से होते हुए सीधा बिल्लकूल व्यासा मोड़ तक जोड़ने की योजना है ?</p>	<p>इस कार्यालय के पत्र संख्या 4234 दिनांक 21.3.2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p>
64	श्री दिनेश सेन, माननीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू	भू अधिग्रहण अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण परियोजना अधिकारी, पण्डोह जिला मण्डी	<p>प्रश्न संख्या:-05/दिनांक 26 मार्च, 2015</p> <p>सदन में माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग नागचला (जिला मण्डी) से मनाली तक प्रस्तावित फोरलेन का सर्वे कहाँ-कहाँ से किस-किस स्वरूप में हो रहा है तथा इससे सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण अधिसूचना की वर्तमान स्थिति क्या है ? इस सन्दर्भ में विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें ?</p>	<p>इस कार्यालय के पत्र संख्या 4233 दिनांक 21.3.2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p>
65	श्री हितेश्वर सिंह, माननीय सदस्य जिला परिषद	पुलिस अधिक्षक कुल्लू/मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू	<p>प्रश्न संख्या:-06/दिनांक 26 मार्च, 2015</p> <p>क. सदन में माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में डाक्टरों के साथ जिन लोगों ने मारपीट की थी, पुलिस विभाग ने उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई ?</p> <p>ख. रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में कितने विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति की गई है ?</p>	<p>क. इस कार्यालय के पत्र संख्या 4231-32 दिनांक 21.3.2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p> <p>ख. श्री ओम पाल शर्मा, विकलांग विशेषज्ञ, डॉ हेमराज शर्मा, ओ०बी०जी० स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा डॉ सोनम छेरिंग, आँख शल्यचिकित्सक इत्यादि डॉक्टरों को रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत नियुक्ति की गई है।</p>
66	श्री हितेश्वर सिंह, माननीय सदस्य जिला परिषद	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्थिति	<p>प्रश्न संख्या:-07/दिनांक 26 मार्च, 2015</p> <p>सदन में माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि सब्जी मण्डी भून्तर में कुल कितनी पक्की दुकानें हैं, और कुल कितने आढती हैं, जिनके पास लाईसंस है, उन आढतियों के नाम भी बताए जाएँ, जिन आढतियों को पक्की दुकाने दी गई है और दुकान अलॉटमेंट की तिथि भी बताई जाए।</p>	<p>इस कार्यालय के पत्र संख्या 4235 दिनांक 21.3.2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p>

67	श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर, उपाध्यक्षा जिला परिषद कुल्लू	अधिशायी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग-2	<p>प्रश्न संख्या:-08/दिनांक 26 मार्च, 2015</p> <p>सदन में माननीय उपाध्यक्षा जिला परिषद द्वारा पूछा गया कि निम्न सड़कों की वर्तमान एवं आगामी स्थिति से विस्तारपूर्वक अवगत करवाएँ।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पनगां शांगचर सड़क 2. पनगां से शोगली कशेरी सड़क 3. फोजल नेरी काथी कुकड़ी सड़क 4. फोजल रूंगा सड़क शीला तराशी कआइन सड़क 5. शीला तराशी कआइन सड़क 6. फोजल धारा फलाइन सड़क 7. पतलीकुहल से हलाण-2 सड़क 8. ब्रोड़ पारशा शलीण सड़क 9. क्लव हाउस से शनाग पलचान सड़क 10. सेलंग गाँव की सड़क व पुल 	<p>इस कार्यालय के पत्र संख्या 4237 दिनांक 21.3.2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p>
----	--	---------------------------------------	---	--

पृ0सख्या:-
प्रतिलिपि:-

सचिव,
जिला परिषद् कुल्लू,
जिला कुल्लू हि0प्र0।
दिनांक मार्च, 2015

उपरोक्त समस्त अधिकारियों को उपरोक्त के सन्दर्भ में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सचिव,
जिला परिषद् कुल्लू,
जिला कुल्लू हि0प्र0।